Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:41 PM Page 1

तृतीय प्रकृति

प्रकाशक
समाज कल्याण विभाग, छत्तीगढ़ शासन

सहयोग
छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति, रायपुर

प्रथम संस्करण
दिनांक 01-02-2019

मुखपृष्ठ कलाकृति
रवीना बरिहा और विद्या राजपूत

विशेष आभार
श्री भूपेन्द्र पाण्डेय, उपसंचालक
समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

प्रूफ रीडिंग
श्रीमती विद्यावती चंद्राकर
सहायक प्राध्यापक हिन्दी,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद,
छत्तीगढ़ शासन

मुद्रण स्थान
आशीष ग्राफिक्स
बढ़ईपारा, ललिता चौक, रायपुर
(छत्तीसगढ़)

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:42 PM Page 2

आभार

पाठकों के समक्ष ये यह पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पीछे कई संवेदनशील व विशेषज्ञों की मेहनत शामिल है। हम विशेष रुप से समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं जिन्होंने हमें वित्तीय सहायता तथा पुस्तक निर्माण के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त हुआ। समाज कल्याण विभाग के सचिव ईमिल लकड़ा जी और संचालक श्री रजत कुमार जी को भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लेखन के लिए हमें लगातार प्रेरित किया है। पुस्तक लेखन के पूरे प्रक्रिया में उपसंचालक श्री भूपेन्द्र पाण्डेय जी ने लगातार हमारी मदद की। मै इस पुस्तक के प्रूफ रीडर श्रीमती विद्यावती चंद्राकर जी सहायक प्राध्यापक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं जिनके मेहनत से यह पुस्तक पढ़ने लायक बना।

इस किताब में शामिल विभिन्न उदाहरण व तथ्य विभिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं हम उनके प्रकाशकों व लेखकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा जिन्होंने इस किताब के लिए जाने-अनजाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी लोगों के प्रति भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं.। मैं अपने संगठन मितवा के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का भी शुक्रगुजार हूं क्योंकि उनके साहस और प्रोत्साहन के चलते आज यह पुस्तक पूरा हो सका है।

लेखिका
रवीना बरिहा

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:42 PM Page 3

प्रस्तावना

आज भी समाज दो ही लैंगिक संकल्पनाओं में जीता है। एक है पुरुष और एक है महिला। तीसरे लिंग के बारे में वह दूर-दूर तक नहीं सोच पाता। इसका कारण यह है कि उन्हें जीवन के किसी भी मोड़ पर तृतीय लिंग के बारे जागरुक नहीं किया गया। इस पुस्तक में तृतीय लिंग समुदाय के उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जो समाज के सोच को सकारात्मक व संवेदनापूर्ण बना सकता है। इस पुस्तक में समुदाय के उन सकारात्मक पहलुओं को भी अवगत कराया गया है ताकि उनमें निहित ऊर्जा व सामर्थ्य को हम पहचान सके और समाज के व्यवस्था के अंदर उनके व्यक्तित्व का संरक्षण कर सकें। पुस्तक के विषयों को समझाने हेतु सभी पद्धतियों को शामिल किया गया है ताकि पाठकों की बेहतर समझ बन सके। आशा है यह पुस्तक इस वर्ग के मुद्दों व आयामों को समझने में सहायक साबित हो।

सुश्री विद्या राजपूत
(अध्यक्ष)
छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति
दिनांक-15-1-2019

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:42 PM Page 4

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:43 PM Page 5

विषय सूची

क्र.	विषय	पृष्ठ
अध्याय-1	तृतीय लिंग समुदाय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश	6
अध्याय-2	तृतीय प्रकृति का वैज्ञानिक प्रमाण	8
अध्याय-3	तृतीय लिंग प्रकृति का ऐतिहासिक प्रमाण	9
अध्याय-4	तृतीय लिंग समुदाय के सशक्तिकरण और विकास की रूपरेखा	11
अध्याय-5	तृतीय लिंग व्यक्ति के ऊपर होने वाले हिंसा की प्रकृति, कारण और निदान	13
अध्याय- 6	तृतीय लिंग समुदाय के लिए लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी की महत्ता	14
अध्याय-7	तृतीय लिंग समुदाय से जुड़ी चार कहानियां	
	आखिरी सौगात	18
	खुदकुशी	22
	अनछूई पहेली	27
	व्यथा	30
अध्याय-8	सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय व छत्तीसगढ़ शासन के दिशा-निर्देश का तुलनात्मक अध्ययन	35
	छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश छायाप्रति	40

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:43 PM Page 6

अध्याय-1

तृतीय लिंग समुदाय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

भारत में तृतीय लिंग समुदाय को कई नामों जैसे किन्नर, सखी, मीठा, कोथी, हिजड़ा, उभयलिंगी, शिखंडी, अरावनी, कोज्जा, पावैया, खुसरा, ख्वाजासारा, कोती इत्यादि से जाना जाता है। तृतीय लिंग व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण विधेयक के दूसरे अध्याय में तृतीय लिंग व्यक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि –

(क) ना पूरी तरह से पुरुष ना पुरी तरह से महिला

(ख) स्त्री और पुरुष का समन्वय

(ग) ना पुरुष और ना महिला

(घ) ऐसा व्यक्ति जिसका लैंगिक अभिव्यक्ति उसके जन्म से प्राप्त लिंग से मिलता जुलता ना हो।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा कि व्यक्ति स्वयं घोषित करेगा कि वह ट्रांसजेंडर है। इसी प्रकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने लिंग का निर्धारण महिला, पुरुष या तृतीय लिंग व्यक्ति के रुप में कर सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तृतीय लिंग समुदाय को मुख्य रुप से पांच भागों में वर्गीकृत किया है –

(1) ट्रांसवूमन – ऐसी तृतीय लिंग समुदाय का व्यक्ति जो स्वयं को महिला के रुप में पहचान निर्धारित करती है तथा लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी करा चुकी होती है या लैंगिक रूपांतरण करने की इच्छा या प्रक्रिया में होती है। ये जन्म से पुरूष के शरीर में होता है।

(2) ट्रांसमेन – ऐसी तृतीय लिंग समुदाय का व्यक्ति जो स्वयं को पुरूष के रुप में पहचान निर्धारित करती है तथा लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी करा चुका होती है या लैंगिक रूपांतरण करने की इच्छा या प्रक्रिया में होती है। ये जन्म से महिला के शरीर में होती है।

(3) कोथी- ऐसे तृतीय लिंग समुदाय का व्यक्ति जो पुरुष के वेशभूषा में रहता है। इनका लिंग अभियक्ति निर्धारित नहीं होता है। ये कभी महिला के रुप में तो, कभी पुरुष के रुप में या कभी दोनों ही लिगों में अपने अपने आपको अभिव्यक्त करते हैं। प्रत्येक ट्रांसवूमेन पहले कोथी के रुप में समाज में रहती है।

(4) हिजड़ा- तृतीय लिंग समुदाय का यह सामाजिक और सांस्कृतिक समूह है। इस समूह का एक घराना व गुरू-चेला परंपरा होता है। इस समूह का मुख्य कार्य- बधाई देना है। हिजड़ा समाज को अधिकरतर शादी -विवाह व अन्य मांगलिक सामारोहों में बधाई देते हुए देखा जा सकता है।

(5) धार्मिक समूह- तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति कई धार्मिक परंपराओं से जुड़े हैं। ये अधिकतर वैष्णव, शैव व शाक्त आदि संप्रदायों से जुड़े होते हैं। इन्हें जोगप्पा, शिव-शक्ति, सखी आदि नामों से जाना जाता है।

विशेष बातें

1 लैंगिक अभिव्यक्ति अधिकार प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त है। यह उसकी स्वंय की निजता है। समाज के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का लैंगिक अभिव्यक्ति निर्धारण नहीं होनी चाहिए।

2 किसी भी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर तब तक नहीं कहा जा सकता जब की वह स्वयं को ट्रांसजेंडर घोषित नहीं करता।

4 लैंगिक अभिव्यक्ति के जैसे ही यौन अभिव्यक्ति भी अलग-अलग तरह का हो सकता है।

5 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार है।

6 लिंग का निर्धारण प्रकृति करती है लेकिन लैंगिकता का निर्धारण व्यक्ति स्वंय करता है। लैंगिकअभिव्यक्ति का संबंध हमारे मन, बुद्धि और अंत:करण है।

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:43 PM Page 7

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 अप्रैल 2014 को तृतीय लिंग समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। यह निर्णय दो न्यायधीश केएस राधाकृष्णन और एके सिकरी खंडपीठ ने दिया। निर्देश इस प्रकार थे-

लिंग चयन की आजादी

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार महिला पुरूष या तृतीय लिंग के रूप में लैंगिक पहचान निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को उनके स्वप्रमाणीकरण के आधार पर कानूनी रूप से पहचान जारी करने का दिशा-निर्देश प्रदान किया है।

- तृतीय लिंग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाये तथा उन्हे शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा नियुक्तिओं में कदानुसार आरक्षण की सुविधा प्राप्त हो।
- तृतीय लिंग के व्यक्तियों के अनेक यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है जिसके लिए शहरी स्वास्थ्य केंद्रो में उनके लिए पृथक एच.आई.वी. सेरो सरविलेन्स केन्द्र/कक्ष स्थापित किया जावे।
- तृतीय लिंग के व्यक्ति भय, संकोच, सामाजिक दबाव, डिप्रेसन, आत्महत्या की प्रवृत्तियां, सामाजिक बहिष्कार आदि के शिकार होते हैं। इन पर लिंग प्रमाणीकरण दबाव बनाना अनैतिक व अवैधानिक होगा।
- सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिए पृथक शौचालय का प्रावधान अनिवार्य रूप से हो।
- तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक हितग्राही मूलक योजनाएं बनाई जावे।
- जनजागरण अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि तृतीय समुदाय को अछूत न माना जावे तथा उन्हें समाज में सम्मान से जीने का अवसर प्राप्त हो।

महिला-पुरुष के साथ अब तृतीय लिंग को कानूनी मान्यता

- शासकीय सेवाओं में तृतीय लिंग के समुदाय को शामिल करना उनकी शिकायतों पर सामान्य नागरिकों के रूप में कार्यवाही करें।
- सेवाओं से संबंधित सभी फार्म/प्रारूप में लिंग के विरूद्ध तीन विकल्प दर्शाये जावें - (क) पुरूष , (ख) महिला, (ग) तृतीय लिंग

अध्याय-2

तृतीय प्रकृति का वैज्ञानिक प्रमाण

जीवशास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी में ऐसे बहुत से जीव हैं जो मिश्रित व्यवहार करते है। प्रसिद्ध विकासवादी जीवशास्त्री जोन रोघ गार्डन (कैलिफोर्निया यूनीवर्सिटी) ने 1979 में डाइवरसिटी, जेंडर, सेक्सूआलिटी इन नेचर एंव पीपुल नामक शोधपत्र जारी किया इसमें कई समलैंगिक जन्तुओं का उल्लेख किया गया है। वहीं उन्होंने हिरण, मछली, छिपकली और गौरैया में विशेष परिस्थितियों में होने वाले समलैंगिक व्यवहारों का भी उल्लेख किया है।

अमेरिका मनोरोग एसोसिएशन ने 34 सालों के रिसर्च के बाद थर्ड जेंडर व उसकी यौनिकता को 1973 में मनोरोगों की सूची से हटा दिया है। अमेरिका मनोरोग एसोसिएशन द्वारा जारी इस शोधपत्र व पुष्टि के बाद थर्ड जेंडर समुदाय के मुद्दों के प्रति लोगों की जागरुकता बढ़ी है तथा कई न्यायिक प्रक्रियाओं में एसोसिएशन के दस्तावेजों का उपयोग भी किया गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 का संशोधन किया तथा समलैंगिकता को वैधानिक मान्यता प्रदान किया।

कार्ल गुस्टाफ युंग जिन्होंने 1913 में एनालिटिकल साईकोलॉजी की स्थापना करके अन्तःनारी (एनीमा) और अन्तः नर (एनीमस) संबंधी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया था

कार्ल गुस्ताव जुंग (स्विटजरलैंड 1875) नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व को साईके की संज्ञा दी है। जुंग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक द्विलिंगी प्राणी है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं। जुंग ने पुरुष वाले गुण को एनिमस कहा तथा स्त्रियों वाले गुणों को एनिमा कहा। जुंग का कहना है कि जब कोई स्त्री अधिकार स्वरुप अपना मत रख रही हो तो यह उसके पुरुष पक्ष यानी एनिमस की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार अगर कोई पुरुष कभी रोता है तो यह एनिमा की अभिव्यक्ति होती है। तृतीय लिंग समुदाय में फर्क केवल इतना है कि प्राकृतिक रुप से एनिमा की प्रबलता ज्यादा होती है, जिसके कारण इनके अंदर स्त्रियों के गुणों का अधिक विकास होता है।

विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक व वैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने अपने पुस्तकों में ऐसे लोगों का उल्लेख किया है जिनमें स्त्रियोचित गुणों का विकास हुआ है। उन्होंने इसे प्राकृतिक व नैसर्गिक मानसिकता के रुप में स्वीकार किया है। यद्यपि इस समुदाय के संबंध में कई वैज्ञानिक प्रमाण है। वर्तमान में थर्ड जेंडर की यौनिकता पर कई पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं जैसे सेरेना नंदा की लैंगिक विविधता, शिकागो विश्वविद्यालय के गिल्बर्ट हेरर्ड की दर्जनों पुस्तकें, व्हिटनी डेविस की गे एंड लेस्बियन, हेनिंग बेच की वेन मेन मीट तथा कैथरीन की व्यापार, राजनीति नहीं- गे बाजार आदि।

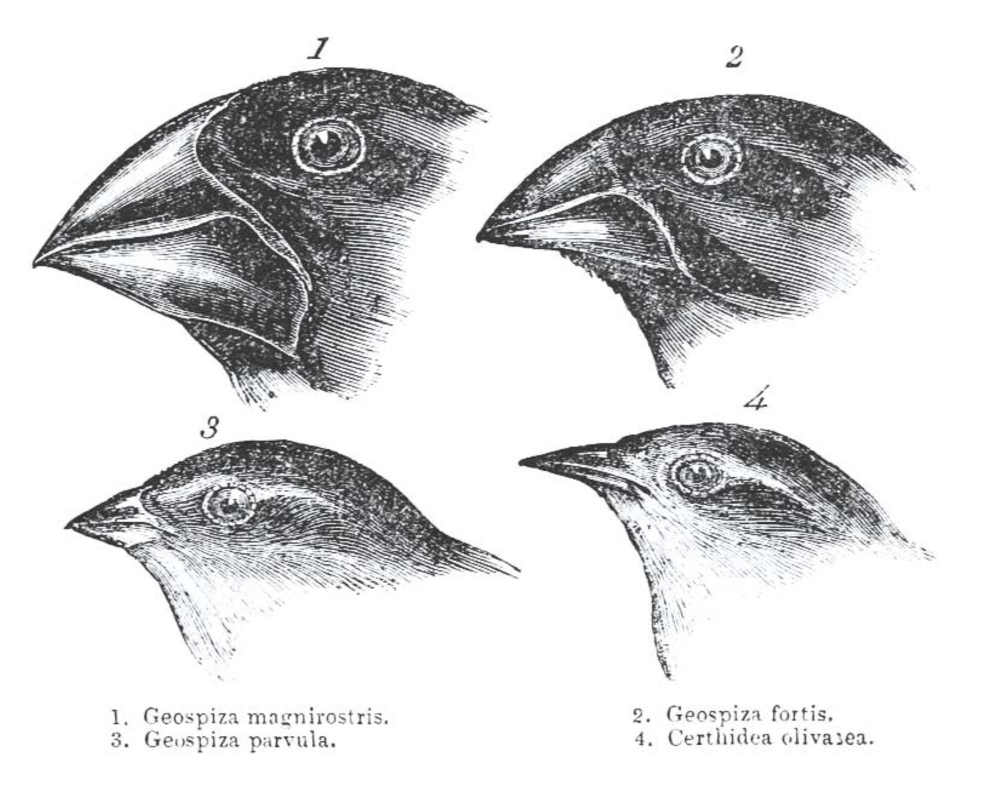

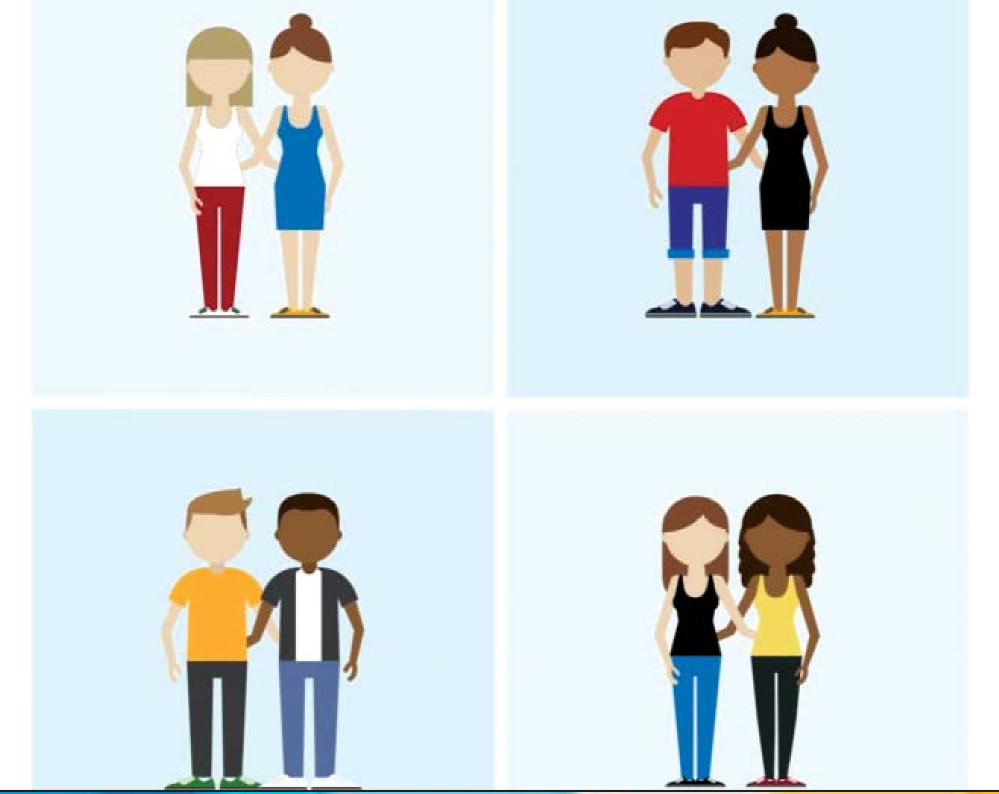

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:44 PM Page 9

अध्याय-3

तृतीय लिंग प्रकृति का ऐतिहासिक प्रमाण

तृतीय लिंग समुदाय के संबंधित ऐतिहासिक प्रमाण बहुतायत में मिलती है। उदाहरण के तौर पर चौथी शताब्दी में महर्षि वात्सायन द्वारा लिखी गई कामशास्त्र में इस वर्ग के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। लेखक ने किन्नर शब्द को बड़े व्यापक रुप से परिभाषित किया है- किंम अहं नर: इति किन्नर, ऐसा पुरुष जिसको अपने पुरुष होने में संदेह उत्पन्न होता है किन्नर है। अपने को पुरुष न मानना ही तृतीय सीमा की शुरुआत है। इसका संबंध केवल प्रजनन अंगों से न होकर भावनात्मक और मानसिक स्तर पर ज्यादा होता है। वात्सायन ने भी किन्नरों को दो वर्गों में बांटा है- 1 **स्त्रीरुपिणी किन्नर**- जिनकी बनावट व रुप रंग स्त्रियों के जैसी होती है। 2 **पुरुषरुपिणी किन्नर**- जिनकी बनावट व आचरण पुरुषों के जैसा होता है।

इतिहासज्ञ मुर्रे, स्टेफन ओ व स्टोल गोली ने (न्यूयोर्क यूनिवर्सिटी) 1997 में जारी कल्चर, हिस्ट्री व लिटरेचर नामक लेख में मेसोपोटामिया सभ्यता के पौराणिक कथाओं में उल्लेखित थर्ड जेंडर समुदाय के देवताओं का उल्लेख किया है। वहीं अमेरिकन इतिहासज्ञ मैथ्यू लूपर द्वारा 2001 में जारी ऐशियंट माया वूमेन-मेन नामक लेख में अमेरिका के प्राचीन माया सभ्यता के दस्तावेजों में थर्ड जेंडर समुदाय के बारे में वर्णित तथ्यों की ओर सबका ध्यान आकर्षित कराया था। वहीं रामायण में किन्नर कथा व महाभारत में शिखंडी का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रन्थ विनया नामक ग्रन्थ में भी किन्नरों का उल्लेख मिलता है। बाइबिल के मैथ्यू में किन्नरों को सम्मानीय स्थान प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत की कई प्राचीन मंदिरों में कई समलैंगिक मूर्तियां है जो इस बात को प्रमाणित करती है कि यौन क्रिया(सेक्स) में विभिन्न प्रयोगों को कामवेत्ताओं ने कभी विरोध नहीं किया।

किवंदती है कि त्रेतायुग में श्रीराम जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे तब अयोध्यावासी सरयू नदी तक उन्हें छोड़ने आए थे। नदी के तट पर श्रीराम ने 14 साल बाद उन्हें फिर से मिलने का आश्वासन देकर वापस घर जाने का निर्देश दिया। कहा जाता है राम की आज्ञा पाकर किन्नरों को छोड़कर सभी नर-नारी वापस लौट आए थे। 14 साल बाद जब श्रीराम वापस आए तो उन्होंने देखा कि सरयू के तट पर कई किन्नर उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले आपने केवल नर और नारी को ही वापस लौटने की आज्ञा दी थी सो वे लौट गए। हम किन्नर हैं अत: हम यहीं रुक गए और आपका इंतजार करने लगे। कहते हैं श्रीराम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उनका राज होगा और उनकी दुआएं लोगों को लगेंगी।

महाकाव्य महाभारत में शिखंडी का उल्लेख मिलता है। शिखंडी द्रुपद का पुत्र व द्रोपदी का भाई था जो किन्नर था। उसे कहीं-कहीं सती का अवतार भी कहा गया है। इस पात्र ने यह सिद्ध कर दिया कि समुदाय के लोग दुनिया के बड़े से

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:44 PM Page 10

बड़े कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था। शिखंडी ने अपनी शिक्षा-दीक्षा विधिवत पूरी की थी। उसकी प्रतिभा को देख श्रीकृष्ण ने उसे महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाया था। गीता के पहले अध्याय में लिखा है कि शिखंडी च महारथः अर्थात महारथी था। उपरोक्त कथाएं इस बात के प्रमाण हैं कि उस काल में इस समुदाय को काफी सामाजिक मान्यता मिली हुई थी।

ये सभी कथाएं काल्पनिक या ऐतिहासिक हैं ये यद्यपि बहस का विषय हो सकता है पर इन कथाओं को समाज में जिस प्रकार स्वीकृति मिली इससे प्रमाणित होता है कि उस काल में थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त महौल था। इसी प्रकार गुप्त काल में भी संस्कृत भाषा की पाणिनी व्याकरण लिखी गई। जिसमें तीन लिंग की संकल्पना थी।

मुगलकाल में भी बादषाह के हरम में रानी व राजकुमारियों के अंगरक्षक का कार्य तृतीय लिंग समुदाय के हाथों में होता था। किवदंती है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर तृतीय लिंग समुदाय का व्यक्ति था, जिसके नेतृत्व उन्होंन दक्षिण भारत का विजय किया था। उल्लेखनीय है कि देवदत्त पटनायक द्वारा रचित शिखंडी नामक पुस्तक में उन्होंने कई पौराणिक पात्रों का उल्लेख किया है।

महाकाव्य महाभारत में शिखंडी नामक सेना नायक का उल्लेख मिलता है जो तृतीय लिंग समुदाय से थी। यह इस बात को दर्शाता है कि प्राचीन काल में महिला और पुरूष के समान तृतीय लिंग व्यक्ति को भी समानता का अधिकार प्राप्त था। विकास के सारे अवसर उनके लिए खुले थे। मान. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णयों में इनकालजयी पात्रों का उल्लेख किया है। तथा शासन को निर्देश दिया है कि वे इन पुरातन गरिमा को पुनः स्थापित करें।

अध्याय-4

तृतीय लिंग समुदाय के सशक्तिकरण और विकास की रूपरेखा

हर व्यक्ति मुख्य रुप से दो धरातलों पर जीवनयापन करता है पहला मानसिक या आंतरिक धरातल तथा दूसरा बाह्य या सामाजिक धरातल कह सकते हैं। केवल एक पक्ष के विकास से व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है, उसके दोनों पक्षों के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। हमें ऐसे विकास की माडल या रुपरेखा तैयार करनी होगी जिसमें दोनों पक्षों के विकास की बाते आ सकें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उन महत्वपूर्ण बिंदुओ को स्पष्ट किया जा रहा है, जिसे समुदाय के लिए कोई भी विशेष योजना तैयार करते समय अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

1 बाहरी वातावरण को अनुकूल बनाना- हमारा विकास बहुत कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है अत: हमें मानवाधिकार के अंतर्गत आने वाले विषयों पर काम करना होगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कानूनी सहायता, आदि। क्योंकि यदि बाहर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी तो व्यक्तित्व विकास की गति किंचित कम हो जाती है। अत: हमें इन विषयों पर कार्य करके माहौल को अनुकूल बनाने की भी चेष्टा करनी होगी। इस संदर्भ में किन्नर कल्याण आयोग या तृतीय लिंग कल्याण आयोग की स्थापना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। आयोग के माध्यम से हम समुदाय के विकास के लिए बाहरी वातावरण को जल्द ही अनुकूल बना सकते हैं।

2 आंतरिक सकारात्मक क्षमताओं का विकास- तृतीय लिंग समुदाय के लोगों के अंदर बहुत सारी सकारात्मक क्षमताएं विद्यान है,। जैसे संगीत, लेखन, टेलरिंग, रंगोली, चित्रकला, ब्यूटीशियन, राजनीति व व्यवसाय आदि। इन क्षमताओं का विकास बहुत जरुरी है। बचपन में व्यक्तित्व संरक्षण के अभाव व अच्छा माहौल नहीं मिलने के कारण इन गुणों का विकास नहीं हो पाता। तृतीय लिंग समुदाय की सबसे बड़ी समस्या तनाव और अकेलापन है। यह प्रयोग में देखा गया है कि जिसने भी अपने सकारात्मक क्षमताओं का विकास किया है, वे बहुत कुछ तनाव व अकेलेपन के दुष्परिणामों से बच जाते हैं। अत: हमें लगातार इस ओर प्रयास करनी होगी कि समुदाय के लोग अपने अंदर के प्रतिभा का विकास कर सके।

3 नकारात्मक विचारधारा को परिवर्तित करना - प्रत्येक कार्य का जन्म विचारों से होता है। हमारे अनुभव व अर्जित ज्ञान से विचार बनते हैं। यही

विचार परिपुष्ट होकर विचारधारा बन जाता है। विचारधारा के अनुसार विश्वास प्रणाली का जन्म होता है, जिन विषयों पर व्यक्ति का विश्वास होता है वह उसे आसानी से अपने जीवन में अपना लेता है, तथा उसी के अनुसार अपने जीवन को परिचालित करता है, इस तरह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है।

तृतीय लिंग समुदाय बहुत ही मानसिक पीड़ाओं से गुजरा होता है। इससे वे बहुत नकारात्मक हो जाते हैं। बड़े जीवन मूल्यों के प्रति उनका विश्वास उठ जाता है। यह बहुत ही जरुरी है हमारा विश्वास बड़े मूल्यों व आदर्शों पर हो ताकि हम अपने जीवन को उस ओर परिचालित कर सकें। यदि हमारी विश्वास प्रणाली ठीक है तो जीवन पद्धति भी ठीक होगी।

4 **सामाजिक व सामुदायिक सेवा कार्यों से जोड़ना** - यदि हम समुदाय को समाज के मुख्यधारा में जोड़ने की बात करते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि उसे सामाजिक सेवा कार्यों से जोड़ा जाए। सामाजिक सेवा कार्यों से जोड़ने से समाज बहुत जल्दी मुख्यधारा के पास पहुंचेगा। योजना बनाते वक्त यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि हमारे सेवा कार्य का स्वरुप इस प्रकार हो जो तृतीय लिंग समुदाय के गुणों से मिलता हो। जैसे यदि तृतीय लिंग समुदाय के लोगों में संगीत की प्रतिभा है तो हम उन्हें जागरुकता के कार्यक्रमों से जोड़कर समाज के मुख्यधारा में ला सकते हैं या यदि तृतीय लिंग समुदाय के लोग मिलनसार होते हैं तो हम उन्हें ऐसे कार्यों में लगा सकते हैं तो आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित होते हैं।

5 **सकारात्मक संस्कृति का विकास** - सदैव ऐसे माहौल के निर्माण के लिए कार्य करना होगा जिसमें रचनात्मकता तथा सृजनात्मकता हो। संगठन के सभी लोग एक अच्छे माहौल में रह सके, इसके लिए भी हमारा कार्यक्रम तैयार होगा। हमारा माहौल भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हमें जागरुकता के स्तर को इतना बढ़ाना होगा कि लोग समुदाय में स्थापित बुरे संस्कृति का अपनी इच्छा से बहिष्कार कर सके। इसके लिए उनके मस्तिष्क को तार्किक व विवेकवान बनाना होगा ताकि वे अच्छे व शुभ संस्कृति के निर्माण में सहयोग दे सके। उदा. किन्नर समाज में भिक्षावृत्ति या बधाई मांगने को अच्छे पेशे के रुप में देखा जाता है, जबकि मुख्य समाज भिक्षावृत्ति को एक सामाजिक बुराई के रुप में देखता है। अत: हम देखते हैं कि यह संस्कृति युवा किन्नरों को प्रभावित करती है और वे इसी ओर मुड़ने लगते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक ऐसे संस्कृति व मूल्यों का भी विकास किए जाए जो तृतीय लिंग समुदाय और अन्य समुदाय में बराबर हो।

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:45 PM Page 13

अध्याय-5

तृतीय लिंग व्यक्ति के ऊपर होने वाले हिंसा की प्रकृति, कारण और निदान

तृतीय लिंग समुदाय का व्यक्ति सभी प्रकार के हिंसा का सामना करता है, लेकिन कुछ प्रकार हिंसा विशेष रुप से होता है, वह निम्नलिखित है।

1. **पारिवारिक बहिष्कार**- तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति को सामाजिक कलंक समझकर प्राय: समाज, परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाता है। थोड़ा कारण स्पष्ट करते हुए बढावें ।
2. **लैंगिक हिंसा**- तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति अधिकतर छेड़छाड़ व लैंगिक शोषण के शिकार होते है। लैंगिक हिंसा का सामना उन्हें परिवार व परिवार के बाहर भी करना पड़ता है।
3. **मौखिक हिंसा**- तृतीय लिंग व्यक्ति के प्रति असम्मान जनक अपशब्दों जैसे छक्का, मामू, हिजड़ा, नपुंसक आदि का प्रयोग किया जाता है। इससे उन्हें अवसाद, आत्मघाती प्रवृति, कुंठा व आत्म विश्वास की कमी आती है।
4. **आत्महत्या की प्रवृत्ति**- सामाजिक भेद-भाव व अकेलेपन के कारण उनके अंदर आत्महत्या की भावना विकसित होती है।
5. **भावनात्मक हिंसा**- ट्रांसजेंडरों के विवाह को कानूनी मान्यता नही मिल पाने के कारण कई बार उनका जीवन साथी मानसिक व भावनात्मक रुप से ठेस पहुंचा बीच में ही साथ छोड़ देते हैं।
6. विवाह को किसी भी प्रकार का कानूनी मान्यता नहीं होनें के कारण यह अपराध के रूप में पंजीबद्ध भी नही हो पाता है।
7. **आर्थिक शोषण**- तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों का भावनात्मक सहारा देने के बहाने से कई बार उनके पुरूष मित्र व समुदाय के सदस्यों द्वारा आर्थिक शोषण किया जाता है।
8. **शारीरिक हिंसा**- कई बार तृतीय लिंग व्यक्ति के स्वभाव को बदलने के लिए परिवार के लोगो के द्वारा मारपीट किया जाता है। यह मारपीट परिवार के लोग तथा स्कूली जीवन में अधिकतर होता है।
9. **सार्वजनिक स्थलो व सार्वजनिक सेवा केन्द्रो में भेदभाव**- कई बार तृतीय लिंग व्यक्तियों को हॉटलो, सरकारी अस्पतालों सिनेमा हॉल, सार्वजनिक नल, स्कूल/कॉलेजों आदि सार्वजनिक स्थानों में लैंगिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है।
10. **अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता**- कई बार तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति आजीविका उपार्जन हेतु अपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त हो जाते है, जैसे- अवैध वसुली करना व पैसो के लिए यौनकर्म करना, लेकिन इन अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता का मुख्य कारण सामाजिक भेदभाव व सम्मानजनक आजीविका का नहीं होना है।
11. **बंधवा मजदुरी/भिक्षावृति**- परिवार से निकाल दिये जानें के बाद कई बार तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को दबाव पुर्वक बंधवा मजदुरी व भिक्षावृति जैसे कार्य करावाये जाते है। इस अपराध में समुदाय के ही लोग संलिप्त रहते है।

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:45 PM Page 14

अध्याय-6

तृतीय लिंग समुदाय के लिए लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी की महत्ता

तृतीय लिंग व्यक्ति के लिए लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे इसी सर्जरी के माध्यम से वे अपने मन और शरीर के भेद को खत्म कर पाते हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो इस सर्जरी के माध्यम से स्त्री शरीर का रुपांतरण पुरुष शरीर में तथा पुरुष शरीर का रुपांतरण महिला के शरीर होता है। भारत तथा विदेशों के कई मेडिकल संस्थानों व हास्पिटलों में यह सर्जरी होती इस सर्जरी के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे गाइडलाइन बने हैं। यदि कोई ट्रांसजेंडर इस सर्जरी को कराना चाहता है तो उसे मुख्य रुप से इन पांच चरणों से गुजरना पडता है। ये पांच चरण सभी गाइडलाइन में मिलते हैं।

1 काउंसलिंग - जब कोई तृतीय लिंग समुदाय व्यक्ति अपने शरीर को अपने मन के मुताबिक बदलना चाहता हो उसे पहले अपनी स्वय की काउंसलिंग करना पड़ता है। यह काउंसलिंग कोई मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के माध्यम से होता है। इसमें विभिन्न तरीकों से जाना जाता है वह इस सर्जरी को कराने के लिए कितने मानसिक रुप से तैयार है। कई बार काउंलिंग एक ही बार में सफल हो जाता है तो कई बार उनके साथ बहुत बार काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। यदि काउंसलिंग के बाद मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक द्वारा एक प्रमाणपत्र का पुष्टिपत्र प्रदान किया जाता है कि तृतीय लिंग व्यक्ति लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए तैयार है या नहीं।

2 हार्मोनथेरेपी- काउसलिंग के साथ मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक की पुष्टि के बाद हार्मोन थेरेपी की शुरूआत होती है। इस प्रक्रिया को ऐन्डोकानोलोजिस्ट (हार्मोन विशेषज्ञ) या शल्यक्रिया के विशेषज्ञ द्वारा शुरू किया जाता है। इस प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में व्यक्ति के हार्मोन स्तर का पता लगाया जाता है तथा सर्जरी के अनुरूप उसको हार्मोन की दवाईयां या इंजेक्शन दी जाती है। यदि शरीर का रुपांतरण स्त्री के रुप में करना हो तो एस्ट्रोजिन हार्मोन्स तथा पुरूष के रुप में करना हो तो टेस्टेटरोन हार्मोन्स दिया जाता है। इसके साथ-साथ विटामिन, खनिज तत्वों व अन्य आवश्यकतानुसार और भी दवाईयां दी जाती हैं. हारर्मोन्स के अनुसार हमारे शरीर मे दिखावट में परीवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। हार्मोनथेरेपी की अवधि न्यूनतम 6 से अधिकतर डाक्टर के सलाह के अनुसार होता है।

3 सहमति पत्र- काउंसलिंग और हार्मोनथेरेपी के बाद सहमति पत्र ली जाती है। यदि वह 18 साल या 18 से उपर का हो तो वह स्वयं सहमति दे सकता है। यदि वह 18 से कम उम्र को हो, ऐसे परिस्थितियों में उसके परिवारजनों को सहमति पत्र देना होता है। सहमति के पश्चात सर्जरी की प्रक्रिया शुरू होती है। लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी मुख्य रुप से प्लास्टिक सर्जन(शल्य चिकित्सक द्वारा की जाती है। लिंग प्रत्यारोपण के अंतर्गत आने वाली प्रमुख सर्जरी इस प्रकार है।

4. अनचाहे बालों को निकालना (हेयर रिमूवल) - इस प्रक्रिया में शरीर से अनचाहे बालों को निकालना जाता है। यह सर्जरी मुख्य रुप से पुरुष से महिला शरीर के रुपांतरण ज्यादा

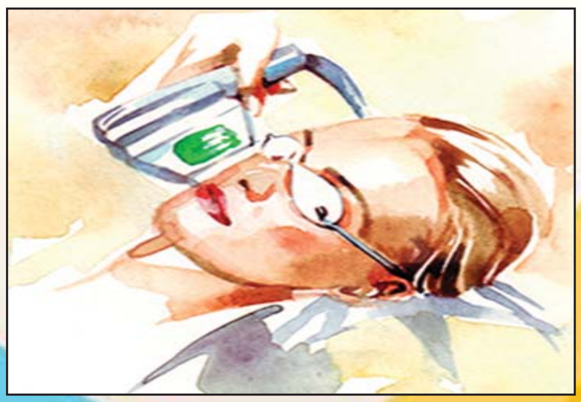

उपयोग होता है। खास कर दाढ़ी व मूंछों को इस प्रक्रिया से निकाला जाता है। यह सर्जरी विभिन्न विधियों से किया जाता है जिसमें लेजर तकनीक सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है।

5. स्तन की सर्जरी तथा हटाने की सर्जरी– यदि सर्जरी पुरुष से महिला के रुपांतरण का हो तो कृत्रिम तरीके या हार्मोनलथेरेपी से स्तर का विकास कराया जाता है और यदि सर्जरी महिला से पुरुष रुपांतरण का है तो महिला स्तर को सर्जरी के माध्यम से निकाला जाता है।

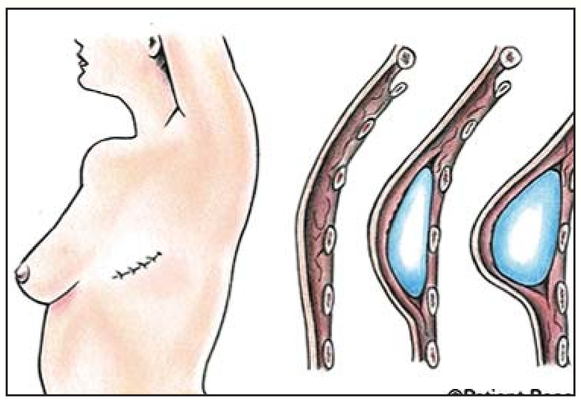

6. लिंग परिवर्तन सर्जरी– इस सर्जरी में पुरुष जननांग को हटाकर स्त्री योनि तथा योनि के स्थान पर पुरुष जननांग बनाए जाते हैं। यह सर्जरी मुख्य रुप से 2 से 5 घंटे तक की होती है। लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी में इसे सबसे महत्वपूर्ण सर्जरी माना जाता है। यह सर्जरी विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जन के द्वारा किया जाता है।

7. स्वर यंत्र या वोकल कार्ड की सर्जरी– इस सर्जरी में हमारे गले में स्थित स्वरयंत्रों के टोनिंग को बदला जाता है। स्त्री शरीर के लिए गले के स्वरयंत्र को पतला आवाज के उपयुक्त बनाया जाता है तथा पुरुष शरीर के लिए स्वरयंत्र को मोटा आवाज के उपयुक्त बनाया जाता है।

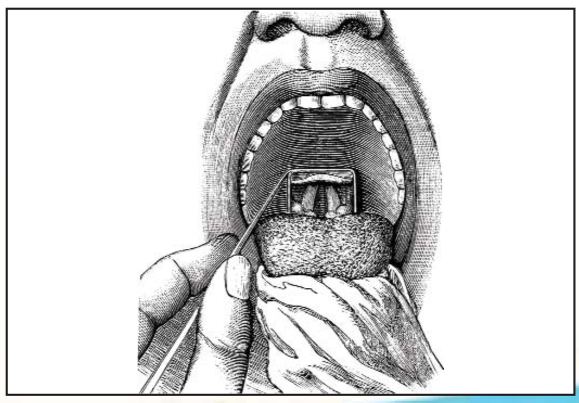

8. सर्जरी के बाद की प्रक्रिया – सर्जरी के बाद लगभग 1 माह तक इलाज की प्रक्रिया चलती है। यह ट्रीटमेंट एक से कई महिनों चलता है। इसके अंतर्गत दवाईयां दी जाती हैं तथा तथा सावधानियों बरती जाती है। इन सबके अलावा और भी छोटी–छोटी सर्जरी आवश्यकतानुसार की जाती है।

विशेष बातें

1. लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी की सुविधा छत्तीसगढ़ राज्य में नि:शुल्क उपलब्ध है। भीमराव अंबेडकर हास्पिटल और मेडिकल कालेज में यह सर्जरी की जाती है। छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा राज्य है जहां सरकारी अस्पताल में यह सर्जरी सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
2 यदि कोई ट्रांसजेडर लिंग प्रत्योपरण सर्जरी की इच्छा रखता है तो उसे तुरंत काउंसलिंग और हार्मोनलथेरेपी प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए ताकि वह सही समय पर अपनी सर्जरी करा सके।
3 कई तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी नहीं कराते हैं। अत: उन्हें उनकी इच्छानुसार ही जीवन जीने की आजादी देनी चाहिए।
4 सर्जरी के बाद और पहले नाम परिवर्तन की कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसमें व्यक्ति अपने लैंगिक अभिव्यक्ति के अनुसार अपना नामकरण कर सकता है।

तृतीय लिंग समुदाय और यौन संक्रमण का खतरा

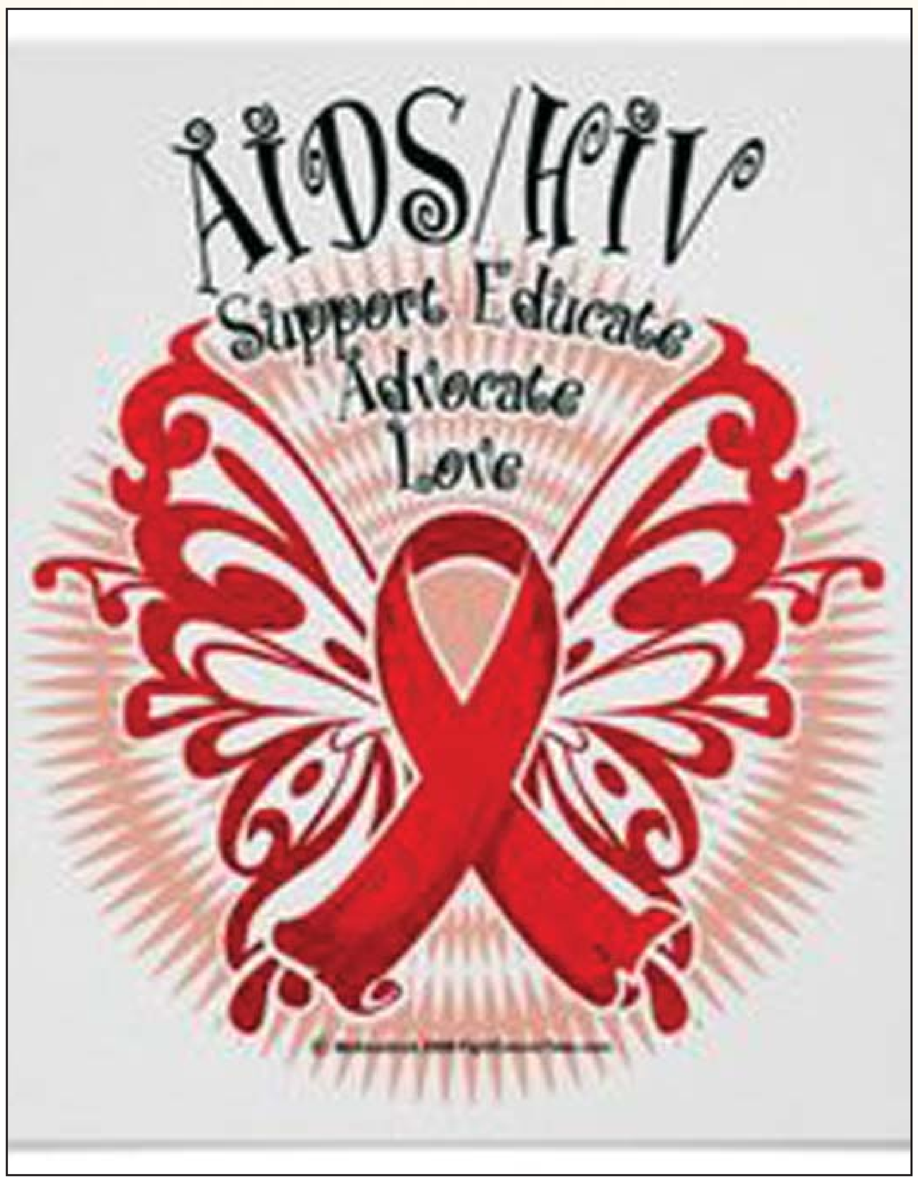

तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को एचआईवी व अन्य यौन रोग होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इनके जोखिम के निम्नकारण हैं–

1 **विवाह (सुरक्षित यौन संबंध) की व्यवस्था नहीं होती**– सेक्स या यौन क्रिया एक नैसर्गिक जरुरत होती है। चूंकि अधिकतर समुदाय के लोगों का विवाह नहीं होता इसलिए अपने यौन आकांक्षाओं के पूर्ति के लिए बहुत सारे जोखिम उठाने पड़ते हैं। इसके कारण समुदाय मे एचआईवी संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है।

2 **नियमित व वफादार यौन साथी नहीं होते** – तृतीय लिंग व्यक्ति के नियमित व वफादार यौन साथी नहीं होने के कारण अधिकतर यौन साथी बदलते रहते हैं जिसके कारण उन्हें संक्रमित होने का खतरा बना रहता है।

3 **अशिक्षा व जागरुकता का अभाव** – स्कूल व सामाजिक भेदभाव के कारण उपजे तनाव से समुदाय के अधिकतर लोग अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं हो पाते। चूंकि कई लोगों के बचपन में पढ़ाई छूट जाती है अत: उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जानकारी नहीं हो पाती। वहीं कुछ अपने जीवन के प्रति बेपरवाह और उदासीन हो जाते हैं। यदि इस समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य प्रति जागरुकता बढ़ाया जाए तो यौन संक्रमणों से बचा जा सकता है।

4 **यौन संक्रमण के प्रति उदासीनता व डाक्टरों से झिझक**– यदि किसी को यौन संक्रमण हो जाता है तो वह डॉक्टरों के पास जाने में झिझकता है क्योंकि समुदाय के प्रति कई डाक्टरों का व्यवहार सामान्य नहीं होता है। इसी प्रकार जब वह अपने संक्रमण की बात अपने समुदाय के दूसरे व्यक्ति को बताता है तो उसकी भी समझ कम होती है और वह उसे उचित परामर्श नहीं दे पाता। कई बार तो समुदाय के लोग अपने अंदर के यौन संक्रमणों को बताते ही नहीं जो बाद में बढ़ता चला जाता है ।

7– **बचपन में समलैंगिक हिंसा** – कई बार तृतीय लिंग बच्चों के साथ बचपन में ही समलैंगिक हिंसा होता है। वे इस बात को घर के अपने परिजनों को नहीं बता पाते। अत: ऐसे बच्चों का ध्यान रखने की जरुरत है ताकि वे ऐसे हिंसा से बच सके।

विशेष बातें

1. तृतीय लिंग व्यक्ति को नियमित रूप एचआईवी जांच कराने हेतु प्रेरित करना चाहिए।
2. यौन संक्रमण के लक्षण पता चलते ही तुरंत ईलाज हेतु जाना चाहिए।
3. परामर्श एवं ईलाज विषय विशेषज्ञ डाक्टर से ही लेना चाहिए।
4. तृतीय लिंग व्यक्ति को रचनात्मक कार्यो में संलग्न रखना चाहिए तथा उसे अकेलेपन और उत्तेजक माहौल से बचाना चाहिए।

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:46 PM Page 17

अध्याय-7

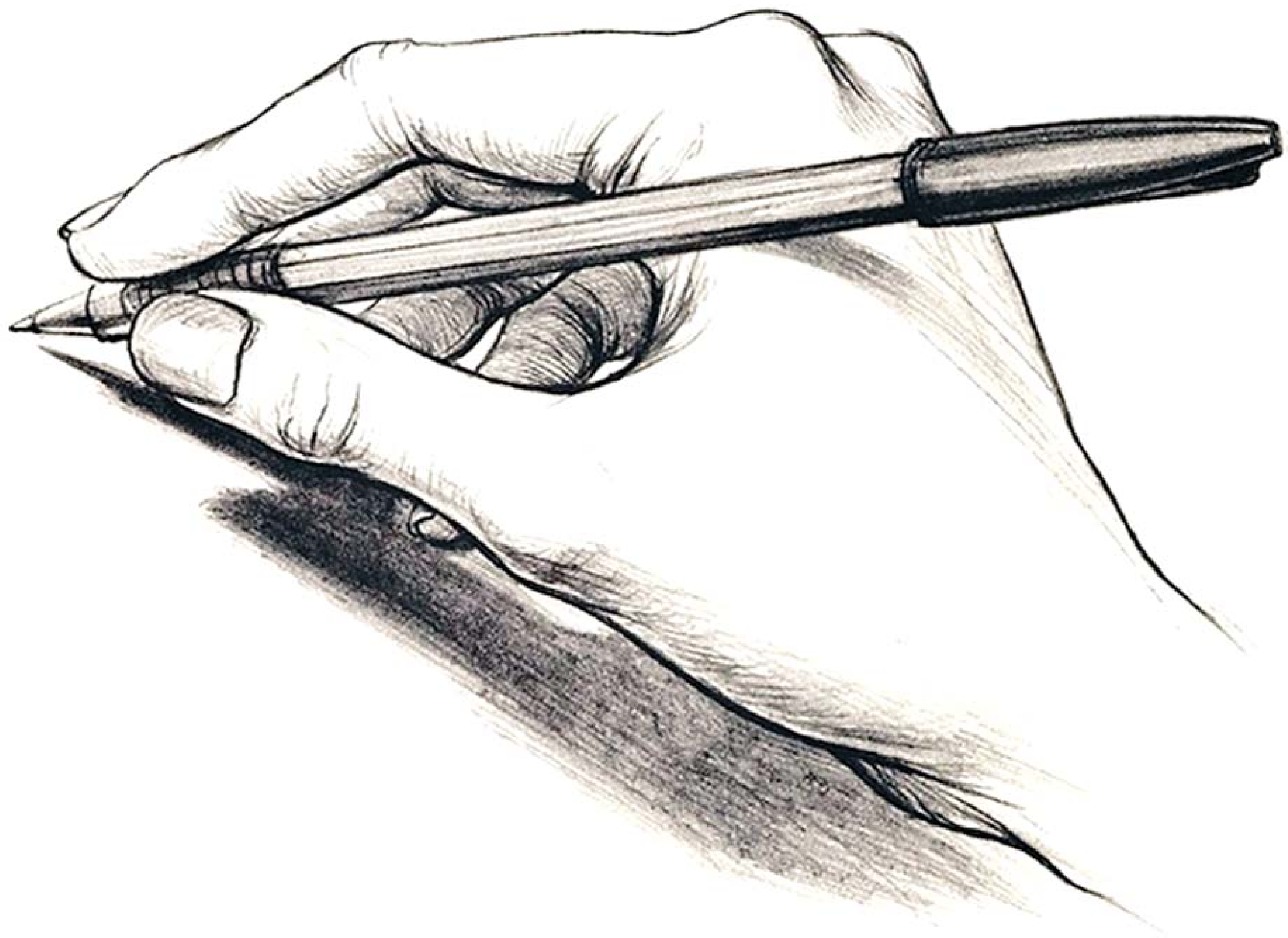

तृतीय लिंग समुदाय से जुड़ी चार कहानियां

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:47 PM Page 18

आखिरी सौगात

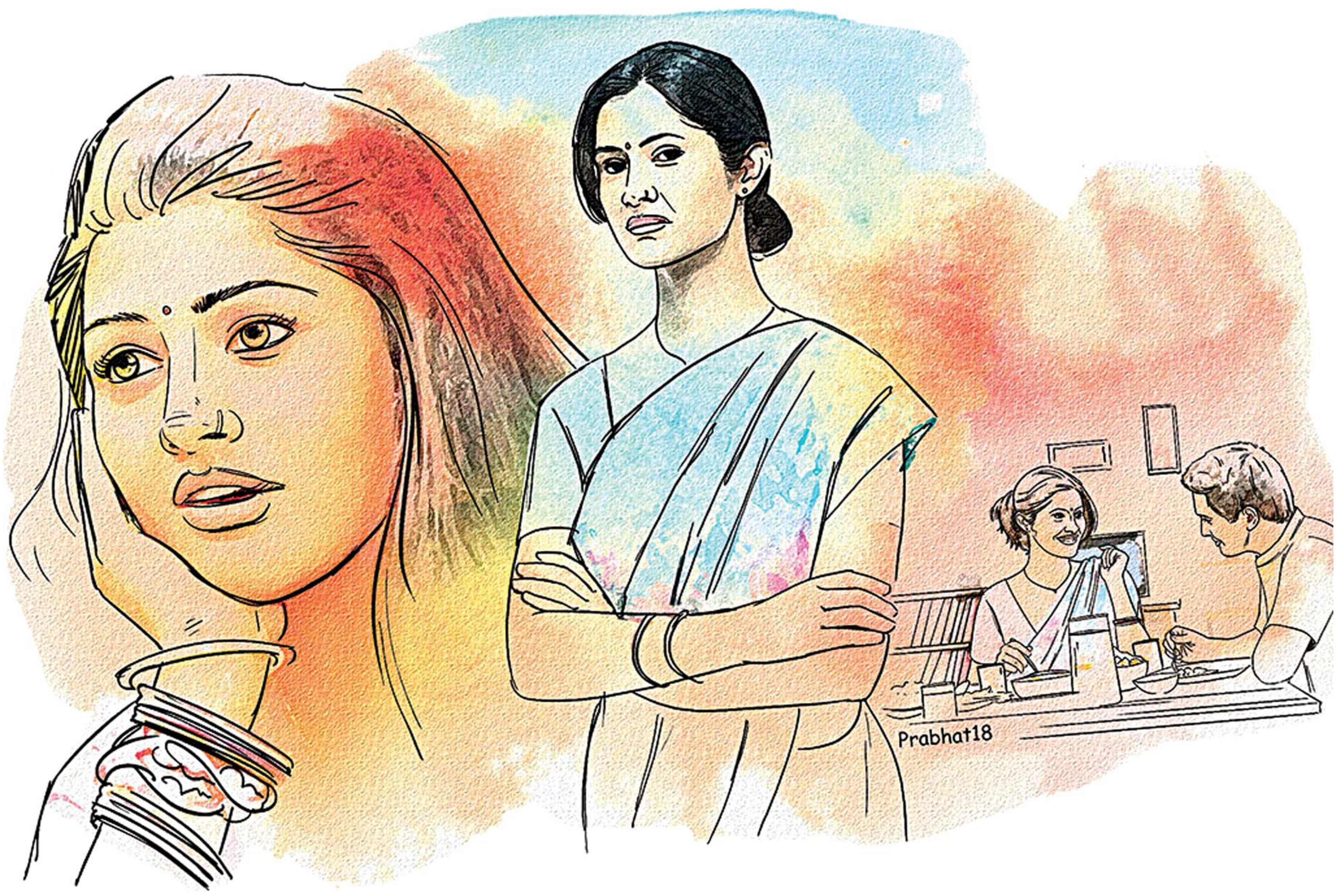

मेकाहारा का फाटक जैसे ही खुला। धड़धड़ाती हुई एंबुलेंस वहां पहुंची। वार्ड ब्वाय तेजी से एंबुलेंस की ओर लपके। एक अर्धजली किन्नर को व्हील बेड से उतारा गया। जल्दी ही उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। उनके साथ तीन लोग थे। जावेद, 22 साल का युवक जो पिछले 5 सालों से करीमा के साथ लिविंग रिलेशनशीप में रह रहा था, शरण लंगोटे, एक एनजीओ में काम करने वाला समाज सेवक और अप्पू उसके मोहल्ले का एक लड़का।

रात के 11 बज रहे थे। तीन घंटे के बेहोशी के बाद जैसे उसने अपनी दोनों आखें खोली तीन लोगों को सामने पाया। पथराई आंखे, चेहरा म्लान, मानो निरीह भाव से कह रही हो मुझे मर जाने देना था यहां लेकर क्यों आए हो ? फिर शायद उसे लगा मैं किससे ये बाते कह रही हूं, यहां तो पत्थर दिल के लोग रहते हैं। बेमन से उसने अपना सिर फेर लिया। रात बीतने लगा, हास्पिटल में चहल कदमी भी कम होने लगी। बाहर ईद के पटाखे फूट रहे थे, कभी कम तो कभी ज्यादा की आवाज मे वें करीमा के कानों तक पहुंच रहे थे। रात की खामोशी के बीच बेड पर पड़ी करीमा अपने अतीत के पन्नों को पलटने लगी। विशाखापट्टन की गलियां, सडकें, समुद्र और जुम्मा चाची का प्यार। उसे याद आने लगा आज के दिन जुम्मा चाची के साथ कितने मजे से दिन बीतते थे। दिन भर न जाने कितने की पकवान बनाया करती थी। करीमा के लिए संसार में चाची ही सब कुछ थी। माता-पिता और भाई-भतीजे से भरा परिवार उसे रास नहीं आता था और आता भी क्यों करीमा को वहां सांस लेने तक की पाबंदी थी। बहनों के साथ खेलने पर अब्बू मना करते थे कहते लड़कियों से साथ क्यों खेलता है। लड़कों के साथ खेलने पर उसके दोस्त उसे छक्का, मामू कहकर चिढ़ाते। केवल जुम्मा चाची की गोद

में ही उसे सुकुन नसीब होता था। एक दिन चाची भी उसे छोड़कर चली गई। करीमा के साथ रह गई केवल तन्हाईयां।

इसी दौरान मामी के घर से फोन आया कि किसी को मेरे यहां भेज दो। मामी गर्भवती थी,मामा भी आटो चलाते थे। घर को संभालने वाला कोई नहीं था। मां ने करीमा को नागपुर भेज दिया। बचपन में करीमा को करीम कहते थे। नागपुर का नया माहौल करीम के दुखों को कुछ कम जरुर कर दिया लेकिन अंदर बैठी तन्हाई और अकेलापन कभी -कभी तूफान के जैसा उठता था जो उसे झकझोर कर रख देता था। मामा के घर के बाजू में रमा नामक किन्नर रहती थी। करीम जब उसे देखता न जाने क्यों अपनेपन का आभास होता था। उसे लगता शायद रमा किन्नर उसके व्यक्तित्व के ज्यादा पास है। उसे याद आता है जब स्कूल में पढ़ता था तब सलमान खान व भाग्यश्री की मैने प्यार किया फिल्म आई थी। करीम भाग्यश्री के किरदार से काफी प्रभावित था, सपने सोचा करता था यदि वह लड़की होती तो बिल्कुल भाग्यश्री के जैसे होती। बचपन में उसे रंगोली और मेहंदी बनाना भी खूब अच्छा लगता था। अब यहीं शौक उसके जिन्दगी के सहारे थे।

करीम रमा से अपनी नजदीकियां बढाती गई। पहले दिन जब उसने रमा का पैर छुआ तो रमा ने आशीर्वाद दिया। मामा-मामी के घर वह जी तोड़ मेहनत करता और शाम को रमा किन्नर के पास चला जाता। जब वह रमा के पास होता तब बड़ा सुकून मिलता। एक दिन रमा ने उसके आंखो में काजल लगाकर करीमा के नाम से पुकारा। करीमा का नाम सूनते ही करीम के आंखो में आंसू आ गए मानो ऐसा लगा पहली बार किसी से उसकी आत्मा को पुकारा हो। उसे लगा यह संबोधन उसके जीवन का सबसे अच्छा संबोधन है। आज करीमा दिन भर खुशी से काम की। हर काम में उसका उत्साह झलक रहा था। अब रमा के घर जब भी जाती करीमा बनती। एक दिन रमा ने उसे साड़ी पहनाया। साड़ी पहनकर जैसे ही करीमा अपने को आइने में देखी उसे लगा यहीं उसकी आत्मा की परछाई है। उसे लगा वह जीवन भर अधूरी थी आज उसके व्यक्तित्व में पूर्णता आई है। अब करीमा रमा के घर अधिकतर समय बिताने लगी। करीमा का रमा के घर अधिकतर समय बिताने की बात जैसे की मामा के कानो तक पहुंची, उन्होंने उसे खूब डांटा। करीमा रात भर रोती रही। पांच दिनों तक वह रमा के घर नहीं गई लेकिन रमा बिना उसका जी भी तो नहीं लगता। उसे लगता कि किसी बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया गया हो। इस बीच मामा के स्वभाव में भी काफी बदलाव करीमा देखने लगी। एक दिन मामा शराब पीकर आए। घर में कोई नहीं था, मामा उसके साथ अश्लील हरकते करने लगे। करीमा किसी तरह अपने को छुड़ा कर वहां से भागी और रमा के घर पहुंच गई। रमा रसोई में काम कर रही थी। रमा को उसने सारी बात बताई। रमा ने कहा हमारी जिन्दगी ऐसी ही है जब हमारी असली पहचान हो जाती है तो हमें इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इससे घबराने की कोई जरुरत नहीं। यहीं हमारी नियती है। करीमा डरे-सहमे अपने घर वापस आ गई। इस बीच एक महीने के अंदर मामा ने कई बार करीमा को डरा धमकाकर उसके साथ यौन अनाचार किया। एक दिन जब मामा उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे तभी मामी वहां पहुंच गई पर मामा ने उलटे करीमा पर ही चरित्र हीनता का आरोप लगा दिया। मामी ने बिना सोचे समझे उसको एक झापड़ जड़ दिया। मामी ने घर में फोन कर बताया कि करीम अपने मामा के साथ गलत हरकते कर रहा था। उसके आदत खराब होते जा रहे हैं। करीमा हतप्रभ होकर अपनी मामी की बात सुनती रही। भला उसने क्या गलत किया है गलत को मामा ने किया। रात के 11 बज रहे थे। करीमा के मन में तूफान चल रहा था। अचानक एक विचार कौंधा, मैं यहां क्यों रहूं। ऐसे लोगों के साथ क्यों जिउं, जो मेरी भावनाओं को समझते ही नहीं। यदि मेरे अंदर एक लड़की की आत्मा है तो इसमें मेरी क्या लगती है।

रात के 12 बजे थे, उस दिन खूब जोर से बारिश हो रही

रात के 12 बजे थे, उस दिन खूब जोर से बारिश हो रही थी। रमा अपने घर में सोई हुई थी तभी जोर-जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खुला तो करीमा सामने खड़ी थी। उसके आखों में आंसू थे। रमा को देख करीमा सीने से लग गई और घर में हुई सारी बाते उसने रमा को बताया। करीमा ने अपने घर छोड़ने की बात बताई। रमा ने उसे काफी समझाने की कोशिश की पर करीमा अपने निर्णय से टस से मस भी नहीं हुई। रमा हार चुकी थी उसने करीमा को बताया कि छत्तीसगढ़ में उसकी एक सहेली रहती है जिसका नाम पूजा है। उससे तुम मिल लेना वह तुम्हारे रहने-खाने की पूरी व्यवस्था कर देगी। रमा ने अपने ओर से पूजा किन्नर को फोन लगा कर सारी बात भी बताई। योजना के अनुसार करीमा गुरुवार को नागपुर से छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन में बैठी।

थी। रमा अपने घर में सोई हुई थी तभी जोर-जोर से दरवाजे खटखटनाने की आवाज आई। दरवाजा खुला तो करीमा सामने खड़ी थी। उसके आखों में आंसू थे। रमा को देख करीमा सीने से लग गई और घर में हुई सारी बाते उसने रमा को बताया। करीमा ने अपने घर छोड़ने की बात बताई। रमा ने उसे काफी समझाने की कोशिश की पर करीमा अपने निर्णय से टस से मस भी नहीं हुई। रमा हार चुकी थी उसने करीमा को बताया कि छत्तीसगढ़ में उसकी एक सहेली रहती है जिसका नाम पूजा है। उससे तुम मिल लेना वह तुम्हारे रहने-खाने की पूरी व्यवस्था कर देगी। रमा ने अपने ओर से पूजा किन्नर को फोन लगा कर सारी बात भी बताई। योजना के अनुसार करीमा गुरुवार को नागपुर से छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन में बैठी।

ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी करीमा अपने निर्णय पर पुनविर्चार कर रही थी पर अब देर हो चुकी थी। नागपुर को छोड़े छः घंटे हो गए अब तो वह रायपुर पहुंचने वाली है। कुछ देर के बाद दुर्ग स्टेशन आया। करीमा अपने बैग के साथ स्टेशन में उतर गई और पता के अनुसार पूजा गुरु के यहां पहुंच गई। गुरु के घर में उसने देखा उसके जैसे कई लोग वहां रहते थे। पूजा ने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया और अपने घर का सदस्य बनाया। कुछ दिनों के बाद करीमा को घर की बहुत याद आई। उसने घर में कई बार फोन भी लगाया आखिर एक दिन अब उसकी चाची ने फोन उठाया तो चाची से पता चला कि मामा ने करीमा के खिलाफ़ चोरी की रिपोर्ट लिखाई है और नागपुर की पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है। करीमा ने अब छत्तीसगढ़ में बसने का निर्णय ले लिया।

पूजा के सारे चेले ट्रेन में दान मांगने जाते थे। करीमा भी जाने लगी। पूजा अपने सारे चेलों में करीमा को काफी पसंद करती थी और करे भी क्यों नहीं आखिर करीमा सबसे सुंदर और समझदार चेला थी। करीमा जब ट्रेन से घर आती थी तब उसे जावेद नामक आटो चालक उसे घर तक छोड़ा करता था। धीरे-धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। उसे जावेद में अपना जीवन साथी दिखाई देने लगा। जरुरत के समय में भी जावेद को वह आर्थिक मदद भी देती थी। उसके घर की मरम्मत से लेकर जावेद की छोटी बहन की शादी तक करीमा ने दिल खोलकर पैसा लुटाया।

उन दिनों भोपाल में मिस इंडिया किन्नर कान्टेस्ट हो रहा है। सभी ने सोचा इसमें करीमा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करे। आखिरकार करीमा राजी हो गई। समुदाय के कुछ लोगों के साथ वह भोपाल की ओर रवाना हुई और आडिशन में हिस्सा लिया। फाइनल मुंबई में होने वाला था। करीमा-जावेद के साथ मुंबई पहुंची और मिस इंडिया किन्नर में उसने टाप फाईफ में जगह बना लिया। यहां उसका चयन मिस वर्ल्ड किन्नर कान्टेस्ट के लिए हुआ जो थाईलैंड में होने वाला था। करीमा के इस उपलब्धि से पूजा गुरु समेत समुदाय के सभी लोग खुश थे।

मुंबई से आने के बाद करीमा ने जब अपने और जावेद के रिश्तों के बारे में पूजा गुरु को बताया तो गुरू ने करीमा को काफी समझाया कि कोई मर्द हिजडों का साथ नहीं देता उसे अपने भविष्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए पर करीमा को लगता गुरू गलत बोल रही है, क्योकि जावेद उसे दिलो जान से चाहता था। जावेद उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। एक दिन जब करीमा जावेद के साथ बैठी तब उसने जावेद को बताया कि सभी कहते कोई मर्द किन्नरों का साथ नहीं देता। जावेद ने उसके आंखो का आंसू पोंछा और कहा आज से तू मेरे घर में रहना। इसे सुनकर करीमा के खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने पूजा गुरू को यह बात बताई तो गुरू ने कहा यदि तुमको लगाता है कि वह जिन्दगी भर तुम्हारा साथ देगा तो उसके घर रह जाओ। दूसरे दिन करीमा जावेद के घर रहने चली गई। जावेद की मम्मी व उसके भाई का नजरिया उसके प्रति ठीक नहीं था, फिर भी अपने सेवा से उनकी दिलों में जगह बना दूंगी, इस विचार से वहां रहने लगी। ट्रेन से आने वाली हर आमदनी जावेद को दे दिया करती थी। जावेद की मम्मी का इलाज, भाई का स्कूल, जावेद का खर्चा करीमा ही उठाने लगी।

एक बार करीमा को मलेरिया हो गया। चार दिन तक वह ट्रेन में नहीं जा सकी। न जाने करीमा को ऐसा लगने लगा कि पूरे परिवार का उसके प्रति नजरिया नकरात्मक हो गया है। जावेद भी ठीक से बात नहीं करता। मम्मी भी बार-बार झुंझलाते रहती थी। एक दिन करीमा को तेज बुखार चढ़ा। जब उसने जावेद को हॉस्पिटल ले जाने के लिए फोन लगाया तो जावेद ने उसे फोन में जावेद ने डांटते हुए कहा कि उसके पास उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए समय नहीं है। हॉस्पिटल पहुंचाने जाएगा तो उसकी रोजी मारी जाएगी। उसे सुन करीमा के पैरों तले जमीन खिसक गया। जावेद जो उसको इतना चाहता था आज छः दिन ट्रेन में मांगने क्या नहीं गई। उसका प्यार भी चला गया। उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए घर में पैसे नहीं है। दो दिन तक उसे दुध मिलता था अब मां कहती है दूधवाला नहीं आ रहा है जबकि पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि दुध वाला प्रतिदिन यहां दूध दे जाता है। आज रात

भर करीमा को नींद नहीं आई। जावेद के व्यवहार से उसका दिल काफी दुखता था।

एक दिन जब थाईलैंड में होने वाले प्रतियोगिता के लिए मुंबई से फोन आया तो करीमा ने जावेद से कुछ पैसे मांगे, पर जावेद ने देने से इंकार कर दिया। इस घटना के बाद करीमा टूट सी गई। कुछ दिन बाद जब करीमा स्वस्थ हुई वापस ट्रेन में जाने लगी, पर अब जावेद के प्रति पहले जैसा प्यार नहीं था। जब कभी करीमा ट्रेन मांगने जाने में गेप करती, जावेद उसे खूब डांटता। इस तरह समझौता करते किसी तरह करीमा दिन गुजारने लगी। जब कभी वह दुखी होती, अपने बचपन और जुम्मा चाची को याद करके खूब रोती।

आज जब करीमा ट्रेन से वापस आकर कर हाथ धो रही थी तब चुनिया ने बताया कि जावेद भैय्या को देखने लड़की वाले आए थे। करीमा कुछ नहीं बोली आज टेज्ञ में उसे 800 रुपए मिले थे। जावेद अपने कमरे में बैठकर फिल्म देख रहा था। करीमा उसके पास गई अपने 800 रुपए दिए। जावेद ने उसे बिना देखे पैसे अपने जेब में डाल लिए। करीमा भी वहां बैठ गई। उसने जावेद से पूछा– करीमा– क्या आप शादी कर रहे हो।

जावेद बिना ध्यान दिए अनमयस्क भाव से कहा– हां।

करीमा– और मैं,

जावेद– तुम भी यहां रहना।

करीमा– पर मैं तुम्हे खोना नहीं चाहती।

जावेद– मैं कहां जा रहा हूं तुम मुझे रोज देख सकती हो।

करीमा– लेकिन आप अपनी पत्नी के साथ रहोगे, तो मैं कैसे मिल पाउंगी। जावेद गुस्से में– तो क्या जिन्दगी भर तुझे अपने कमर में बांध कर रखूं। करीमा: मेरे में क्या कमी है:

जावेद–मुझे मेरे खानदान को चलाने के लिए एक वारिस चाहिए जो तू मुझे नहीं दे सकती। और लोग क्या कहेंगे जावेद एक हिजड़ा से शादी कर रहा है। जब तुम नागपुर से आई थी तो तुम पर रहम खाकर मैने अपना घर दिया और तुम.........

करीमा– तुमने मुझे घर दिया? और मैंने तुम्हारे हर जरुरत में जो साथ दिया है वो.......... जावेद–देख करीमा एक समय में मैं तुम्हारी जरुरत था, एक समय तुम मेरी जरुरत बनी।

जावेद की बात सुनकर करीमा रोते हुए अपने कमरे में गई और मिट्टी तेल शरीर में उडेल दिया और आग लगा ली। जावेद ने आवाज सुनकर कमरे को तोड़ा करीमा आधा जल चुकी थी।

तभी घंटे की आवाज आई, मानो करीमा किसी गहरी नींद से जग गई। घडी में सुबह के चार बज रहे थे, हॉस्पिटल में वह अकेली। सिर घुमाकर जब उसने देखा तो पाया बगल बेड में सोया एक बूढ़ा मरीज उठने की कोशिश कर रहा है, पर उसका कोई परिजन वहां नहीं था, उठने की लगातार कोशिश के बाद आखिरकार वह हारकर फिर सो गया। सुबह होते ही किन्नर समुदाय के काफी लोग मिलने आए पर करीमा बुत की तरह पड़ी सभी को देख रही थी। शायद उसे लग रहा था एक किन्नर के प्यार और समर्पण की यह आखिरी सौगात है और आखिरी नियती भी।

खुदकुशी

ये केस तो खुदकुशी का है। इसमें कोई दम नहीं लगता। इसको लेना शायद मुर्खता होगी-एडवोकेट रेखा ने टेबल के सामने बैठे एक शख्स से नजर मिलाते हुए कहा।

मैडम, भला 17 साल का मासूम लड़का बिना वजह के कैसे खुदकुशी कर सकता है? यदि कोई वजह होता तो कोई सुसाइड नोट छोड़ता। जरा आप इस लड़के के तस्वीर को गौर से देखो, ऐसा लग रहा है मानो सैकड़ों दर्द उसके दिल में दबा है- विनोद ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। विनोद अपने सामने रखे शानू की तस्वीर को रेखा की ओर बढ़ा दी।

ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं इस केस को ले लेती हूं- रेखा ने चेयर की सीट पर अपने पीठ को टिकाते हुए बोली।

मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। लोग कहते हैं आज तक आपने कोई भी केस नहीं हारा।

देखिए विनोद जी, मैं केस नहीं जीतती, जीत सच्चाई की होती है। इस केस में भी सच्चाई की ही जीत होगी।

थैंक्यू मैडम, आपने केस ले लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है- विनोद ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ा और चेयर से खड़ा हुआ। रेखा भी अपने चेयर से खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद विनोद आफिस के बाहर चला गया।

मैडम, पुलिस इसको खुदकुशी मान चुकी है। अन्य आरोप लगाने के कोई सूबत भी नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि इस केस को लेकर आप जिन्दगी की सबसे पहली भूल कर रही हैं। घरवालों का भी कहना है लड़का पागल था काकू ने उस शख्स के जाने के बाद रेखा के पास आकर यह कही।

नहीं काकू, मुझे भी लगता है, उसके बात में कुछ तो सच्चाई है। खैर आप मेरी मदद करो, सबसे पहले उस के लड़के बारे में जीतनी इन्फोरमेशन इकट्ठा कर सकते हैं कीजिए। रेखा की बात सुनकर काकू ने अपनी सहमति दे दी।

काकू रेखा चौहान का अस्सिटेंट था। रेखा ने आज तक अदालत में जितने भी केस लड़े काकू की मदद से। 55 साल

के काकू अपने मोटे डीलडौल के कारण भले ही मनोरंजक कैरेक्टर लगते हों, पर मेहनती खूब थे। गोल-मटोल शरीर, उनका तुतलाकर बातें करने की आदत उन्हें सबका प्रियपात्र बना देती है।

वैसे उनका नाम राममनोहर सिंह है पर लोग उनके चुलबुली आदतों के कारण प्यार से काकू ही बुलाते हैं।

योर आर्नर, मुझे लगता है रेखाजी अदालत का वक्त जाया कर रही हैं। जब पुलिसिया तफ्तीश में यह साबित हो गया है कि मृतक ने खुदकुशी की थी तो केस को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। सारे गवाहों का कहना है कि मृतक पागल था, उसकी हरकते असामान्य थीं। वह पागल था और उसने फांसी लगा ली।

आब्जेक्शन योर आर्नर, यदि आत्महत्या हुई तो उसकी कोई वजह भी होनी चाहिए, जो पुलिस नहीं बता पा रही है। एक सोचने -समझने वाला नार्मल व्यक्ति ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर सकता है। मै अपने काबिल दोस्त को बताना चाहती हूं कि कोई पागल आदमी आत्महत्या नहीं करता- रेखा की बात सुनकर अदालत में मौजूद लोग हंसने लगे।

मैं अदालत से सामने कुछ सबूत पेश करना चाहती हूं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि मृतक पागल नहीं था। ये देखिए उसके दसवीं की मार्कशीट, इसमें उसने 80 प्रतिशत पाया है। ये रहे उसके दूसरे सर्टिफिकेटस, नृत्य, गायन, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताओं में इसने कई बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भला आप ही बताइए ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे को पागल घोषित करना क्या सरासर अन्याय नहीं है ?

मैं गवाह क्या कहते हैं इस पर नहीं जाती पर उसे ये सारे सर्टिफिकेट्स चीख-चीख बता रहे हैं कि शानू बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा था, पागल नहीं।

रेखा की दलीलों को सुनकर प्रतिवादी वकील कुछ नहीं बोला। इस प्रकार जज ने इस केस स्टडी के लिए एक हफ्ते की मुहलत और दे दी। पहली पेशी में मिली सफलता के बाद विनोद ने अदालत के बाहर रेखाजी के प्रति आभार जताया पर रेखा काफी परेशान दिख रही थीं।

योर आर्नर, वो बच्चा कैसे चरित्रहीन हो सकता है जो अपने दोस्त के लिए अपनी मंहगी घड़ी तक बेच दी। वो बच्चा कैसे चरित्रहीन हो सकता है जिसने इसको हर कदम पर मदद किया। इसने खुद स्वीकारा है कि वह इसका सबसे अच्छा दोस्त था। मिस्टर बारले अपने सीट से उठकर हुंकारते हुए कहा- मुझे लगता है मेरी काबिल दोस्त भूल गईं कि एक चरित्रहीन लड़का ही दूसरे लड़के से शादी करने की बात कह सकता है। नहीं योर आर्नर, हकीकत में शानू लड़का था ही नहीं वह थर्ड जेंडर कम्यूनिटी से था। डार्विन से लेकर सिंगमड फ्रायड जैसे वैज्ञानिकों ने इस कम्यूनिटी के अस्तित्व को स्वीकारा है। मैं अपने दोस्त को बता दूं कि इस पर्सनालिटी के लोग अपने को लड़की ही मानते हैं और उसी के अनुरुप व्यवहार करते हैं। रही बात उसके समलैंगिक होने की तो मैं बताना चाहूंगी हमारे संविधान में धारा 377 के तहत इसे वैध माना गया है। अमेरिका मनोरोग एसोशिएशन ने 1973 में समलैंगिकता को तो मनोविकारों की सूची से हटा दिया है। समलैंगिकता को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है।

रात के 10 बज रहे थे। रेखा अपने आफिस में बैठी कुछ मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़ रहीं थी। तभी काकू वहां आया।

रेखा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। देखा एडवोकेट बारले की बोलती कैसे बंद हो गई थी। काकू ने चुटिकियां लेते हुए कहा।

छोड़ो काकू, क्या खबर लाए हो, कहां तक पहुंची तुम्हारी जासूसी।

रेखाजी, एक प्रोब्लम है, मै शानू के स्कूल गया था। वहां उसके टीचर और सहपाठियों से बात भी किया

पर समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे कहूं ?

क्यों क्या हुआ?

असल में शानू दो पर्सनालिटी का लड़का था। यानि आधा लड़का आधा लड़की- काकू ने यह बात इतने धीमे से रेखा के कान में कही कि कहीं दीवार सुन न ले। रेखा काकू के इस अंदाज को देखकर ठहाके मारकर हंसने लगी। रेखा की हंसी सुनकर काकू लज्जित हो गए।

काकू, यू आर ग्रेट- रेखा ने चहकते हुए कहा। लेकिन काकू समझ नहीं पा रहे थे, उसने ऐसी क्या बात बता दी कि वे ग्रेट हो गए।

योर आर्नर, उस दिन रेखाजी भले ही अपने भाषण से कुछ देर के लिए हमें जरुर प्रभावित कर दिया था। पर आज मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो चीख-चीख कर ये बताएगीं कि मृतक न केवल मानसिक रुप से विक्षिप्त था बल्कि चरित्रहीन भी था। ये रहे सबूत-मिस्टर बारले कुछ तस्वीर जज के सामने बढ़ा दी। जज ने तस्वीरों को हाथ में लिया और अपने चश्मे को उतार कर बारीकी से देखा।

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:48 PM Page 24

इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक लड़का कैसे लड़कियों के कपड़े पहनकर नाच रहा है। ये तस्वीर हमें स्कूल से मिले हैं। भला आप ही बताइए एक लड़का यदि लड़की का लिबास पहनकर लड़कियों जैसा नाचे तो उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या नार्मल कहेंगे?- बारले ने रेखा की ओर पैनी नजरों से देखते हुए कहा।

मैं आपके सामने एक और गवाह भी पेश करना चाहती हूं,

इजाजत है-जज ने उंचे स्वर में कहा। कटघरे में एक 22 साल का लड़का आया।

तुम्हारा नाम?

जय?

कौन सी कक्षा में पढ़ते हो?

बारहवीं।

तुम बता सकते हो तुमने भरे बाजार में शानू को क्यों मारा था। सर, उस दिन शानू मेरे साथ अश्लील हरकतें कर रहा था।

योर आर्नर, ये कुछ ग्रीटिंग कार्ड हैं जिसे शानू ने इस लड़के को दिए थे। जरा सुनिए उस ग्रीटिंग कार्ड में शानू ने क्या लिखा है- जय मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, प्लीज मेरे साथ बात करो। -ये लिखा है उसने, भला बताइए क्या यह साबित नहीं होता कि लड़का चरित्रहीन था। आब्जेशन योर आर्नर- रेखा ने चीखते हुए कहा। मै गवाह से कुछ पूछना चाहती हूं।

जज ने पूछने की हामी भर दी। रेखा कटघरे के पास गई। तुम शानू को कब से जानते हो?

बचपन से

क्या वो तुम्हारा दुश्मन था?

नहीं वो मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन उसकी कुछ बाते मुझे अच्छी नहीं लगती थीं। वो कहता था मुझसे शादी करो।

जय की बात को सुनकर अदालत में उपस्थित लोग हंसने लगते हैं। जज ने सबसे शांति की अपील की।

क्या तुम्हे शानू चरित्रहीन लगता था ?

शायद नहीं, क्योंकि भले ही उसकी बाते मुझे अच्छी नहीं लगती थी। पर उसने मेरा हरदम साथ दिया।एक बार जब मैं अपने दोस्तों का कुछ उधारी नहीं चुका पा रहा था तब उसने अपने घडी बेच दी थी। इस बात को लेकर उसके घर में काफी मारपीट हुई पर उसने मुझे ये बात नहीं बताई। बाद में मुझे पता चला। शानू, मेरा होमवर्क कर दिया करता था ताकि मुझे स्कूल में डांट न पड़े पर कुछ आदतें उसकी अच्छी नहीं थी- जय ने जज साहब की ओर देखते हुए कहा।

योर आर्नर, वो बच्चा कैसे चरित्रहीन हो सकता है जो अपने दोस्त के लिए अपनी मंहगी घड़ी तक बेच दी। वो बच्चा कैसे चरित्रहीन हो सकता है जिसने इसको हर कदम पर मदद किया। इसने खुद स्वीकारा है कि वह इसका सबसे अच्छा दोस्त था।

मिस्टर बारले अपने सीट से उठकर हुंकारते हुए कहा- मुझे लगता है मेरी काबिल दोस्त भूल गईं कि एक चरित्रहीन लड़का ही दूसरे लड़के से शादी करने की बात कह सकता है।

नहीं योर आर्नर, हकीकत में शानू लड़का था ही नहीं वह थर्ड जेंडर कम्यूनिटी से था। डार्विन से लेकर सिंगमड फ्रायड जैसे वैज्ञानिकों ने इस कम्यूनिटी के अस्तित्व को स्वीकारा है। मैं अपने दोस्त को बता दूं कि इस पर्सनालिटी के लोग अपने को लड़की ही मानते हैं और उसी के अनुरुप व्यवहार करते हैं। रही बात उसके समलैंगिक होने की तो मैं बताना चाहूंगी हमारे संविधान में धारा 377 के तहत इसे वैध माना गया है। अमेरिका मनोरोग एसोशिएशन ने 1973 में समलैंगिकता को तो मनोविकारों की सूची से हटा दिया है। समलैंगिकता को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है। उसके समलैंगिक व्यक्तित्व को लेकर उसे चरित्रहीन बताना न केवल एक समुदाय की अवमानना है बल्कि संविधान का भी अपमान है।

लेकिन मिस रेखा, ऐसे लोगों को यदि हम नहीं दुत्तकारेंगे तो तो वे हमारे समाज और धर्म को खराब कर सकते हैं।- मिस्टर बारले ने गंभीरता के साथ अपनी बात रखी।

नहीं, ये सरासर गलत है। आज भी थर्ड जेंडर कम्यूनिटी के कितने लोग हैं जो समाज के विकास में अपनी योगदान

रेखा जी ऐसी खबर है आप खुशी के मारे नाचने लगेंगी। जब मैं लोगों से शानु के घरवालों के बारे में पूछ रहा था तब उनके एक पड़ोसी ने बताया कि शानु की मम्मी एक वैश्या थी। उसका पति एक किराना दुकान चलता था जिससे परिवार की रोजी-रोटी चलती थी। जिस रात शानु ने फांसी लगाई थी, उस रात उनके घर में काफी झगड़ा हुआ था।

ठीक है, तुम पता करो, शानु की मां को किस दलाल से ग्राहक मिलते थे और जल्दी बताओ। ठीक है, मैडम- काकू ने फोन काट दिया।

योर आर्नर, मै कुछ गवाहों को कटघरे में बुलाना चाहती हूं पहले शानु के पिताजी को कटघरे में 55 साल का अधेड़ आदमी आया। चेहरा बुझा हुआ, कद सामान्य, लंबा शर्ट, गंदे बाल, उसकी आखों में तैरती थकान स्पष्ट झलक रही थी।

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:48 PM Page 25

दे रहे हैं। आप धर्म की इतनी दुहाई दे रहे हैं क्या आप महाभारत के शिखंडी को भूल गए जिसने धर्म के लिए युद्ध लड़ा था। आज भी सिल्वेस्टर मरचेन्ट, शबनम मौसी, अशोक राव कवि, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जैसे लोग देश व समाज की सेवा कर रहे हैं-रेखा के अंदर आत्मविश्वास की चमक थी। कुछ देर के लिए अदालत में जैसे सन्नाटा ही छा गया।

जज ने कहा- किसी के यौन व्यवहार को लेकर उसे चरित्रहीन बताना गलत है। केस की अगली सुनवाई 24 तारीख को होगी। अदालत बर्खास्त हुआ। सभी बाहर निकले, पर रेखा अदालत में बैठी रही।

क्या बात है रेखा तुम खाना नहीं खा रही हो- पिताजी ने पूछा।

नहीं पापा, आज मुझे लग रहा है कि मैं जिस केस को लेकर लड़ रही हूं वो आज तक की मेरी सबसे बडी केस है। मुझे लग रहा है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके व्यक्तित्व को सही संरक्षण नहीं मिल रहा है- रेखा बोलते बोलते कहीं खो सी गई।

रेखा... रेखा -पिताजी ने जोर से आवाज दी। रेखा मानो किसी दूर से लौटी।

हां पिताजी

देखो भई, तुम क्या बोल रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर तुम खाना जल्दी खा लो- रेखा खाना खाने लगी। तभी बगल में रखा मोबाइल बजने लगा। रेखा ने खाना छोड़कर मोबाइल उठाई। हां काकू क्या खबर है?

फोन से- रेखा जी ऐसी खबर है आप खुशी के मारे नाचने लगेंगी। जब मैं लोगों से शानु के घरवालों के बारे में पूछ रहा था तब उनके एक पड़ोसी ने बताया कि शानु की मम्मी एक वैश्या थी। उसका पति एक किराना दुकान चलता था जिससे परिवार की रोजी-रोटी चलती थी। जिस रात शानु ने फांसी लगाई थी, उस रात उनके घर में काफी झगड़ा हुआ था।

ठीक है, तुम पता करो, शानु की मां को किस दलाल से ग्राहक मिलते थे और जल्दी बताओ। ठीक है, मैडम- काकू ने फोन काट दिया।

योर आर्नर, मै कुछ गवाहों को कटघरे में बुलाना चाहती हूं पहले शानु के पिताजी को कटघरे में 55 साल का अधेड़ आदमी आया। चेहरा बुझा हुआ, कद सामान्य, लंबा शर्ट, गंदे बाल, उसकी आखों में तैरती थकान स्पष्ट झलक रही थी।

तुम्हारा नाम ?

रमेश जायसवाल।

क्या करते हो?

छोटी सी किराने की दुकान चलता हूं।

तुम्हारे बेटे ने फांसी क्यों लगाई ?

मुझे नहीं मालूम।

तुम महीने में कितना कमा लेते हो ?

यहीं कोई 8 हजार, उसमें से चार हजार का दुकान का सामान लेता हूं , बाकी 4 हजार से घर चलता है।

ठीक है तुम जा सकते हो। अधेड़ आदमी वापस बैठ गया। अगली गवाह के रुप में मैं शानू की मम्मी को बुलाना चाहती हूं।

कटघरे में 35 साल की एक औरत आती है। रंग गोरा, मोटी, अपनी ढलती उम्र को छिपाने के लिए कुछ गहरा मेकअप की थी। पर चेहरे पर उभरती झुर्रियों के सामने मेकअप भी हार मान चुका था। तुम्हारा नाम ?

जी, प्यारी।

प्यारी, तुम अपना घर कैसे चलाती हो, मेरा मतलब कितना का राशन लाती हो, कितना बिजली बिल पटाती, हो कितना बच्चों के स्कूल में देती हो, कितना.........

आबजेक्शन योर आर्नर, मेरे काबिल दोस्त केस से हटकर बाते कह रहे हैं- बारले अपने सीट पर खड़े होकर उंची आवाज में चिल्लाया

नहीं, मै ये जानना चाहती हूं, जिसके घर की आमदनी 4 हजार रुपए है। वो इतनी कीमती नेकलेस इतनी कीमती साढ़ी कैसे पहनती हैं?

योर आर्नर, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, जो इनके घर की हैं- रेखा ने जाकर जज को कुछ तस्वीरें दी।

गौर कीजिए, चार हजार की आमदनी वाले इस परिवार में फ्रीज, एसी, महंगे सोफे, महंगी साड़ियां. महंगे

> ***उस रात मेरे पति दूर के रिश्तेदार के घर शादी में गए थे। घर में मैं अकेली और शानू था। मेरा दलाल उस दिन एक मालदार ग्राहक को लाया था। बगल के रुम में शानू सोया था। हमारी आवाज सुनकर वो जाग गया। मुझे आपत्ति जनक स्थिति में देखकर हमें गाली देने लगा। उसे भगाने के लिए मैने काफी बुरा-भला कहा, गालियां दी और अपने दलाल से मिलकर उसे दो चार झापड़ भी जड़ दी।शानू रोते-रोते बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि वह फांसी लगा लेगा। दूसरे दिन जब मै सोकर उठी तो देखा घर के पीछे वाले पेड़ में उसने फांसी लगा ली थी। इतना कहकर प्यारी फफक -फफककर रोने लगी। योर आर्नर, थर्ड जेंडर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है-उसे छक्का, मामू, नार्मद कहकर बार-बार अपमानित करना।***

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:48 PM Page 26

गुलदस्ता कहां से आए? ये सब तो एक अच्छा खासा आमदनी वाला व्यक्ति भी मेनैज नहीं कर पाता ।

हां तो प्यारी आपने कुछ नहीं कहा- रेखा ने पुन: अपनी नजरों को कटघरे में खड़ी महिला की ओर

घुमाते हुए कहा।

जी. ये सब हमें तोहफे में मिले हैं।

ओह, इतने महंगे तोहफे, आपके कौन से रिश्तेदार इतने अमीर हैं ? प्यारी ने सिर झुका लिया।

योर आर्नर, प्यारी की ठाठ के पीछे कोई तोहफा नहीं उसका मोहल्ले में फैला बिजनेस था, और उस बिजनेस को कहते हैं -वेश्यावृति।

क्यों प्यारी, मैने सच कहा ना। बताओ नहीं तो मैं.......

नहीं रेखाजी, मै सच बताती हूं। हां जज साहब मैं मोहल्ले में वैश्यावृत्ति करती हूं.- प्यारी ने सिर झुकाकर कहा।

जज साहब, रेखाजी मेरे मुवकिल को बहलाने की कोशिश कर रही हैं- बारले चिल्लाया

नहीं, बारले जी, मैने अपने अस्सिटेंस को प्यारी का ग्राहक बना कर भेजा था। इस दौरान प्यारी ने जो बाते की थीं उसे हमने रिकार्ड भी कर लिया है और कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स भी बरामद किए- रेखा ने जज की ओर छोटा सा वाकमैन आगे बढ़ा दिया।

प्यारी कटघरे में खड़े होकर रो रही थी। रेखा उसके पास गई और बोली बताओ प्यारी उस रात क्या हुआ था ?

मेरी गलती के कारण कारण मेरे बेटे ने फांसी लगाया। मेरे पति दुकान से देर रात तक लौटते थे। घर का सूनापन पाकर मैं ग्राहकों को बुलाती थी। ग्राहकों को लाने में मोहल्ले का किशनलाल दलाली का काम करता था। पति की कमाई से मेरी जरुरते पूरी नहीं होती थी। मेरे लिए वेश्यावृति पैसे कमाने का आसान तरीका था। पर मेरे बेटे की जल्दी छुट्टी हो जाती थी इसलिए मुझे ग्राहकों को घर लाने में बहुत परेशानी होती थी। मै अच्छी तरह जानती थी कि मेरा बेटा कोथी (थर्ड जेंडर) है। उसे घर से भगाने के लिए हमेशा छक्का, मामू कहकर अपमान करती थी।

उस रात मेरे पति दूर के रिश्तेदार के घर शादी में गए थे। घर में मैं अकेली और शानू था। मेरा दलाल उस दिन एक मालदार ग्राहक को लाया था। बगल के रुम में शानू सोया था। हमारी आवाज सुनकर वो जाग गया। मुझे आपत्ति जनक स्थिति में देखकर हमें गाली देने लगा। उसे भगाने के लिए मैने काफी बुरा-भला कहा, गालियां दी और अपने दलाल से मिलकर उसे दो चार झापड़ भी जड़ दी।शानू रोते-रोते बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि वह फांसी लगा लेगा। दूसरे दिन जब मै सोकर उठी तो देखा घर के पीछे वाले पेड़ में उसने फांसी लगा ली थी। इतना कहकर प्यारी फफक -फफककर रोने लगी। योर आर्नर, थर्ड जेंडर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है-उसे छक्का, मामू, नार्मद कहकर बार-बार अपमानित करना। जब भी प्यारी के पास कोई ग्राहक आता वो शानु को भगाने के लिए इसी तरह जलील करती। बच्चा आखिर कब तक जलील होता जबकि उसने कोई गलती ही नहीं की थी, और उसने ये कदम उठा लिया। ये तो हमारी नासमझी है जो ऐसे बच्चों को हम गलत नजरों से देखते हैं रेखा का गला बोलते -बोलते रुंध गया। अदालत में बैठे दूसरे लोगों के आखों में भी आंसू आ गए थे। जज ने प्यारी को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दूसरे दिन के अखबारों की सुर्खियों में रेखा छाई रही। रेखा के जीत की खुशी में उसके पिताजी ने घर में छोटी सी पार्टी भी रखी थी। रेखा पार्टी के खुशी के माहौल में भी खुद को तन्हा पा रही थी। उसके आंखों में शानू का मासूम सा चेहरा झुल रहा था। उसे उसके छोटे भाई याद आ गई जो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था।

बच्चा आखिर कब तक जलील होता जबकि उसने कोई गलती ही नहीं की थी, और उसने ये कदम उठा लिया। ये तो हमारी नासमझी है जो ऐसे बच्चों को हम गलत नजरों से देखते हैं रेखा का गला बोलते - बोलते रुंध गया। अदालत में बैठे दूसरे लोगों के आखों में भी आंसू आ गए थे। जज ने प्यारी को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दूसरे दिन के अखबारों की सुर्खियों में रेखा छाई रही। रेखा के जीत की खुशी में उसके पिताजी ने घर में छोटी सी पार्टी भी रखी थी। रेखा पार्टी के खुशी के माहौल में भी खुद को तन्हा पा रही थी। उसके आंखों में शानू का मासूम सा चेहरा झुल रहा था। उसे उसके छोटे भाई याद आ गई जो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था।

अनछूई पहेली

Indian Train Station - Shiben

देखो नमीता, अखबार केवल खबरों के दम पर नहीं चलता। कुछ अनछुए स्टोरीस ढूंढो। ऐसी स्टोरी जो बिल्कुल जुदा हो पर अव्यवस्था पर करारी चोट करती हो- एडीटर ने अखबार को टेबल पर रखते हुए नमीता को ओर मजाकिया लहजे में कहा। एडीटर के नाक के आगे तक चश्मा खिसक आया था। चश्मे के बीच एडीटर की चुभती आखें, नमीता को पसंद नहीं आई। नमीता वैसे बहुत की काबिल रिपोर्टर थी पर काम में थोड़ी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और उसकी यहीं आदत उसे शहर के सबसे बड़े रिपोर्टरों के लिस्ट में शामिल कर दिया था।

मैं कोशिश करती हूं, सर- नमीता ने गंभीरता से कहकर एडीटर के सामने चेयर से उठकर केबिन से बाहर निकल गई।

नमीता रायपुर से दुर्ग रोज अप-डाउन करती थी। शाम की ट्रेन में बैठकर वह घर जा रही थी। तभी बगल बोगी में जोर-शोर से चीखने-चिल्लाने की आवाज आई। जाकर देखा तो एक किन्नर के साथ कुछ लोग मारपीट रहे थे। काफी समझाने के बाद गुस्से में पागल लोग शांत हुए। नमीता ने किन्नर से हालचाल पूछा तो किन्नर बड़े गुस्से से उसकी ओर घूरकर देखा और दूसरे बोगी में चली गई।

देखा मैडम, आपने इसे मारपीट से छुड़ाया लेकिन ये अहसान फरामोश कितनी बेशर्मी से बिना शुक्रिया अदा किए चला गया- एक यात्री ने अपने गुस्से को दबाते हुए नमीता से कहा। नमीता यात्री की ओर बिना ध्यान दिए वापस अपने सीट पर बैठ गई।

दूसरे दिन जब नमीता आफिस से काम निपटा कर लौट रही थी फिर उस किन्नर से मुलाकात हुई। इस बार किन्नर कल से काफी शांत दिख रही थी। उसने बडे हिम्मत के साथ अपनी ओर बुलाया। किन्नर वहां आई और नमीता ने अपने

पर्स से 20 रुपए निकालकर उसे पकड़ाया। क्या नाम है ?

मनीषा।

कहां रहती हो?

गुढ़ियारी, शीतला चौक।

अच्छा, मै तुमसे कुछ और भी प्रश्न कर सकती हूं?

बोलो ?

कहां तक पढाई की हो ?

सातवीं तक

नमीता ने गौर किया कि मनीषा के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है। उसके चेहरे में आत्मीयता झलक रही थी।

क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूं।

ठीक है, आप सुबह दस बजे आ जाना, मै घर में ही रहती हूं।

गुढ़ियारी के तंग गलियों के बीच में मनीषा का घर था। घर खोजने में नमीता को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मोहल्ले के सारे लोग मनीषा से परिचित थे। घर पहुंचने पर मनीषा खाना बनाते मिली। बूढ़ी नानी पलंग में सोई थी। एक कमरे के अंदर उनकी पूरी गृहस्थी निपट जाती थी। घर से सामने छोटा सा बाथरुम था, जिसे कपड़ों से लप्टे कर बनाया गया था। पलंग के उपर कांच के फेम में मढ़ा सातवीं का मार्कशीट टंगा था। बगल में उसके मम्मी-पापा के फोटो के साथ पांच बच्चों के फोटो थे। नमीता अंदाज लगाती है शायद बड़ा बच्चा मनीषा होगी। इसी बीच मनीषा काम निपटा कर वहां पहुंचती है। हां, मैडम।

तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। तुम तो काफी होशियार थी। देखों सातवी में 87 प्रतिशत पाई हो।

मैडम, छोड़ो न, हमारे किस्मत में कहां पढाई लिखाई होती है। स्कूल में लड़के मुझे हरदम छेड़ा करते थे। वहीं लड़कियां भी मेरा मजाक उड़ाया करती थीं। यै तुम्हारे मम्मी-पापा हैं?

हां, इसमें तीसरे नंबर की मैं हूं।

बाकी लोग कहां है ?

मेरे पापा हरियाणा के थे। उन्होंने मेरी मम्मी से लव मैरिज किया था। शादी की बात पता चलने पर मेरे पापा के घर वाले जायदाद से उन्हें निकालने की धमकी दी। पिताजी ने घरवालों को मनाने की बात कहकर दिल्ली चले गए, और बाद में नहीं आए। तीन-चार महीनों के बाद काफी खोजबीन करने पर हमें पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मां पागल हो गई और चल बसी। तब से नानी ने हमें पाला पोसा। दो भाईयों की शादी हो गई। छोटी बहन की शादी दो साल पहले हुआ। उससे बड़ी एक लड़के साथ भाग गई। मैं नानी के पास रह गई। साड़ी पहनने से पहले मैं शर्ट पेंट में रहती थी। मेरा नाम मनीष था। मैं ज्योति होटल में बर्तन मांजने का काम करती थी।

नमीता ने बात रोकते हुए कहा- ठीक है, तुमने अपना काम कर लिया हो तो बाहर जाते हैं। कहीं गार्डन में बात करते हैं। यहां नानी को डिस्टर्ब हो रहा है।

मनीषा-ठीक है, पास में एक गार्डन है, वहीं चलते हैं।

नमीता अपने स्कूटी में बिठाए मनीषा को गार्डन ले आई। चाय पीने के लिए नमीता बाजू के चाय वाले दुकान की ओर बढ़ी तो मनीषा ने मना किया। पूछने पर पता चला कि जब मनीषा ज्योति होटल में काम करती थी। तो चाय दुकान वाला वहां वेटर का काम करता था। दोनो के बीच काफी दोस्ती थी। धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। मनीषा के घर राजू अक्सर आया -जाया करता था। दोनो घंटों बैठकर बाते करते थे। मनीषा राजू से भावनात्मक रुप से जुड़ गई थी लेकिन मनीषा को क्या पता कि राजू उसके साथ जो करने वाला था वह उसे झकझोर कर रख देगा। एक साल बाद राजू उसकी छोटी बहन के साथ आर्य समाज के मंदिर में भाग कर शादी कर लिया। जैसे ही मनीषा को यह पता, होटल में बेहोश कर गिर गई। इन एक साल के अंदर उसे कभी भी अहसास नहीं हुआ की राजू उसकी बहन से प्यार करता था। उसे हर पल यहीं लगता

राजू से रिश्ता टूटने के बाद मेरे जीवन में आशीष नाम का लड़का आया। होटल में सुपरवाइजर था। उसके साथ मेरे कई बार शारीरिक संबंध भी हुए। इधर मै मोहल्ले में हर दिन छेड़खानी की शिकार होती थी। अपने आपको काफी बदलने का प्रयास भी किया, पर बदल नहीं पाई। मेरे घर वाले मेरी शादी एक लड़की से कराने वाले थे, पर मैं किसी लड़की के साथ कैसे गृहस्थी बसा सकती थी, फिर भी भाईयों के जिद के चलते मैने एक लड़की से शादी कर ली। पर घर में मन नहीं लगता था। मै ज्यादा समय आशीष के साथ बिताने लगी। आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। करूं तो क्या करूं, पत्नी जो चाहती वो मै नहीं कर सकती थी। एक दिन सभी भाई किसी रिश्तेदार के घर शादी में गए थे। घर में शुभा अकेली थी। उस दिन होटल में काम करते रात हो गई। दिन भर बारिश होते रहने के कारण मै और भी लेट हो गई। रात 12 बजे घर पहुंचने पर मैने देखा, आशीष मेरे पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। मुझे देखते ही वह चला गया।

था कि राजू ही उसका सच्चा जीवनसाथी है। राजू ने उसके साथ कितने वादे किए थे। समाज और घर की परंपरा को तोड़कर समाज के सामने उसे अपनाने की कसम खाई थी- सब धोखा था। उसे समझ नहीं आया ये सब कब हुआ। इस घटना के बाद मनीषा विक्षिप्त सी हो गई।

अगले दिन जन्माष्टी का पर्व था। मनीषा पीले रंग की साढ़ी में खूब अच्छी लग रही थी। हमने पास के कृष्ण मंदिर में जाने का प्लान बनाया। मंदिर में पूजा खत्म करने के बाद हम बरामदे में बैठकर बातें करने लगे।

मनीषा आज त्यौहार के दिन तुम्हारे भाई-बहन नहीं आए? भाई-बहन मुझसे मिलने नहीं आते। क्यों?

बड़ी लंबी कहानी है। मनीषा ने लंबी सांस भरते हुए कहा।

राजू से रिश्ता टूटने के बाद मेरे जीवन में आशीष नाम का लड़का आया। होटल में सुपरवाइजर था। उसके साथ मेरे कई बार शारीरिक संबंध भी हुए। इधर मै मोहल्ले में हर दिन छेड़खानी की शिकार होती थी। अपने आपको काफी बदलने का प्रयास भी किया, पर बदल नहीं पाई। मेरे घर वाले मेरी शादी एक लड़की से कराने वाले थे, पर मैं किसी लड़की के साथ कैसे गृहस्थी बसा सकती थी, फिर भी भाईयों के जिद के चलते मैने एक लड़की से शादी कर ली। पर घर में मन नहीं लगता था। मै ज्यादा समय आशीष के साथ बिताने लगी। आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। करूं तो क्या करूं, पत्नी जो चाहती वो मै नहीं कर सकती थी। एक दिन सभी भाई किसी रिश्तेदार के घर शादी में गए थे। घर में शुभा अकेली थी। उस दिन होटल में काम करते रात हो गई। दिन भर बारिश होते रहने के कारण मै और भी लेट हो गई। रात 12 बजे घर पहुंचने पर मैने देखा, आशीष मेरे पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। मुझे देखते ही वह चला गया। दूसरे दिन मेरी पत्नी अपने मायके चली गई। जब मै वहां मनाने गया तो पता चला उसने आशीष ने मेरे साथ उसके हुए शारीरिक संबंधों के बारे में शुभा को बता दिया था। शुभा ने भी अपने मायके में ये बात सबको बता दी थी।

इस बात पर ससुराल वालों ने मेरे साथ मारपीट किया। जब मै वापस घर लौटी तो घर वालों ने यह कहकर दरवाजा बंद कर दिया कि हम ऐसे लड़के को अपने साथ नहीं रखेंगे जो किसी दूसरे लड़के साथ रिश्ता रखता है। उस दिन से घर का दरवाजा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। मैं गुढ़ियारी में किराए के मकान में रहने लगी। मेरे भाई लोग शराबी थे, वे नानी की देखभाल नहीं कर पाते थे, सो नानी मेरे पास रहने आ गई।

मैडम, भगवान ने भले ही मुझे लड़के का रुप दिया है पर इसके अंदर एक लड़की बसती है, बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मै लड़का हूं। आप मानो चाहे न मानो मै जानती हूं कि मैने राजू और आशीष से सच्चा प्यार की थी पर दुनिया वाले इसे कभी अच्छी नजर से नहीं देख पाए।

अब मनीषा अपने आंसू नहीं रोक पाई। नमीता की गोदी में सिर रखकर सिसक-सिसककर रोने लगी। नमीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे महसूस हुआ उसके भी आखों के दोनों कोरों में आंसू निकल आए हैं।

नमीता ने मनीषा की कहानी सुनकर लंबी सांस ली और करुणा भरी नजरों से मनीषा की ओर देखा। मनीषा के आंखों में आंसू थे, उसे छुपाने की कोशिश में दूसरी ओर सिर करके साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी।

मैडम, भगवान ने भले ही मुझे लड़के का रुप दिया है पर इसके अंदर एक लड़की बसती है, बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मै लड़का हूं। आप मानो चाहे न मानो मै जानती हूं कि मैने राजू और आशीष से सच्चा प्यार की थी पर दुनिया वाले इसे कभी अच्छी नजर से नहीं देख पाए।

अब मनीषा अपने आंसू नहीं रोक पाई। नमीता की गोदी में सिर रखकर सिसक-सिसककर रोने लगी। नमीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे महसूस हुआ उसके भी आखों के दोनों कोरों में आंसू निकल आए हैं।

नमीता को आज रात नींद नहीं आ रही थी। उसके ख्यालों में मनीषा की दुखभरी कहानी गूंज रही थी। सैकडों प्रश्न उठ रहे, शायद नमीता उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। टेबल पर रखे प्रसाद में चीटीं लग चुके थे, जिसे पिताजी ने चार घंटे पहले नमीता को जन्माष्टी की बधाई देते हुए खाने के लिए रख छोड़ा था। चीटियों का एक झुंड प्रसाद को लेने जाने के लिए जुटे हुए थे।

व्यथा

कहते हैं भगवान ने विचारों को प्रगट करने की ताकत केवल इंसानों को नसीब किया है। उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को शब्द और लेखन के माध्यम से प्रगट करने की क्षमता दिया है पर मैं ऐसे झंझावातों से गुजरा जिसे मैं बयां नहीं कर सकता था। जहां बताने की कोशिश भी किया तो बेरहमी से मुझे चुप करा दिया। मुझे याद है मेरी जिन्दगी में तूफान उस समय शुरू हुआ जब मैं सोचने-समझने लगा था। हम लोग चार भाई और दो बहन थे। सबसे छोटा मैं था, पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण मां मजदूरी करती थी। बड़े भाई पुलिस में थे, वे अपनी परिवार के साथ गांव से दूर रहते थे। बड़ी बहन आंगनबाडी कार्यकर्ता थी जिसकी दहेज की वजह से शादी टूटने के कारण दूसरी शादी हो गई थी। सबसे छोटी बहन बडे भाई के साथ रहकर पढाई करती थी। बाबूजी बचपन में ही गुजर गए थे। मां के काम जाने के बाद मैं घर के काम किया करता था जैसे चूल्हा लिपना, आंगन-घर झाड़ना, खाना पकाना, पानी भरना, चाय बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़ा धोना, तालाब जाना, साइकिल किराए पर लेकर लकड़ी लाना, घर के पपीते को बेचने बाजार जाना और गर्मियों के छुट्टी में बोझा उठाने काम में जाना आदि।

बचपन में ही मुझे लगता था मेरे अंदर एक लड़की की आत्मा है, पर जब भी मैं इस बात को बताने की कोशिश की, मैं चुप करा दी गई। मैं खाली समय में गुड्डा-गुड़ियों के साथ खेलता। मां के पुराने साड़ियों को फाड़कर बच्चों के साथ माडलिंग करता। ऐसा देख मां और भाई मुझे मारते थे और क्रिकेट खेलने के लिए कहते थे पर क्रिकेट मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर बात को मानकर मैं खेलने भी जाता लेकिन लड़के मेरा मजाक उड़ाते। मैं छुप-छुपकर घंटो रोता। हर दिन की छींटाकशी सुनकर मुझे बहुत दुख होता पर किससे कहता, यदि कहता तो मुझे चुप करा दिया जाता नहीं तो मार खानी पड़ती थी।

मुझे लड़कियों के खेल पसंद थे पर मार के डर से अपनी पसंद बताने से डरता था। नल में पानी भरने जाने पर पड़ोसी मुझे अलग नजरों से देखते, बोलते थे-देखो, छक्का आ गया। मैं कभी रोता, तो कभी उनसे लड़ता था। मेरी चाल लडकियों जैसी है और आवाज भी पतली इसमें मेरी क्या गलती। मुझे बचपन से लगता काश मेरी पहचान होती, वास्तविकता के साथ सम्मान होता, समाज में मेरे खेल व खिलौने निर्धारित तो मेरा सहमा और गुमशुम बचपन नहीं बितता।मुझे याद है जब मैं नदी नहाने जाता तो लड़कियों जैसे टावेल लपेटकर नाहता था क्योंकि मुझे ऐसा करना अच्छा लगता था। कोई

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:50 PM Page 31

हंसता था तो खुद को छुपा लेता था लड़कों के जैसे बर्ताव करता। दिन में मेरे भाई व दोस्त मेरा मजाक उड़ाते व डांटते और रात होने पर मेरे साथ अश्लील हरकते करते।

जब मैं पांचवी कक्षा में था तब हम हेडमास्टर के घर पढ़ने जाते व रात में वहीं सोते थे। इस दौरान कई बार मैं समलैंगिक हिंसा का शिकार होता। पर घर में नहीं बता पता, क्या करता केवल सहता और रोता। मिडिल स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों में लड़की बनकर नाचता था। कई बार मुझे तारीफें मिलती तो कई बार मैं जलील होती।

मैं लड़कों के प्रति बचपन से ही आकर्षित था। जैसे एक लड़की अपने जीवनसाथी की कल्पना करती थी वैसे मैं भी सपने देखता कि एक दिन मेरा भी राजकुमार आएगा। मुझे मेहंदी लगाना और लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता था।

स्कूल में लड़के मेरा मजाक ना उड़ाए इसलिए लड़कियों के साथ रहता था पर कभी-कभी लड़कों के साथ लड़कियां भी मेरा मजाक उड़ाती थीं। अपने आपको व्यस्त रखने के लिए रामायण और महाभारत के सीरियल देखता और सत्य की राह में जाने की सोचता था। घर में मेरे चाल, बात, शौक और सहेली को लेकर डाट व मार पड़ती थी। जब मैं अपने भावनाओं को लोगों को बताता तो लोग इस मानसिकता को गलत कहते थे। कोई सुनकर दोस्ती तोड़ देता तो किसी और को बताकर मजाक उडाते या मुझे सुधर जाने की बात कहते। मैं पूरी तरह लड़का बनने के लिए स्काउट, एनएसएस व एनसीसी बायस ग्रुप लिया।

लोगों के मजाक, अपशब्द सुनकर और घर में मार खाकर एक बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की पर मैं बच गया। मैं अपनी पसंद के लड़कों में जीवनसाथी ढूंढने लगा और दोस्ती करता था पर जब मैं पत्र द्वारा या मौखिक रुप से अपनी भावनाएं व्यक्त करता तो वे यहीं कहते एक लड़का दूसरे लड़के को प्यार कैसे कर सकता है। ये गलत है।

मुझे नृत्य व फैशन डिजायनर बनना पसंद था पर नृत्य के लिए घर में मार व डांट पड़ती थी और फैशन डिजायनिंग कोर्स के लिए पैसे नहीं थे। अपने परिवार के सुदृढ़ स्थिति व अपने जीवन साथी और अपनी पढ़ाई के लिए मां लक्ष्मी, भोलेनाथ और मां सरस्वती का उपवास करता था। इस पर भी मेरे घर वाले डांटते थे।

मुझे फूल -पौधों का बहुत शौक था। घर को सजाने का भी शौक था। मुझे 10 पैसा, 20 पैसा, आठ आना मिलता तो मै पौधे लगता, घर को सजाता, बकरियों व गाय का ख्याल रखता। जब बकरों को बेचते तो मैं खूब रोता था, फिल्म देखते वक्त हिरोइन में खुद को महसूस करता। मैं मैने प्यार किया की सुमन भाग्यश्री जैसा बनना चाहता था।

मैं अपने एक दोस्त रामकुमार के साथ मिलकर विद्या कोचिंग सेंटर खोला, जहां मेरी मुलाकात राकेश से हुई। इस बीच मैं राकेश के तरफ आकर्षित हुआ और उसका ख्याल रखने लगा। उसे मैं पूरे पवित्र भावनांओं के साथ प्यार करने लगा पर उसे बोलने से डरता था कहीं दोस्ती न टूट जाए। हम साथ में सोते चांद देखते, संगीत सुनते, घुमते पर दिल की बात नहीं कह सका। मैने अपने अपाहिज लड़की दोस्त से राकेश की मुलाकात करवाया और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसे देख मैं अंदर ही अंदर रोता, मुझे तकलीफ होती। आखिरकार एक दिन रिंकी के घर वालों को राकेश और रिंकी के प्यार के बारे में पता चल गया। मैं डर गया था, मुझे लगा कि रिंकी के घर वाले राकेश को मार देंगे इसलिए मैने राकेश को अपने घर आने से मना कर दिया। वह मुझसे नाराज हो गया। उसे मनाने के लिए कोचिंग के बच्चों के साथ 25 पोस्टकार्ड उसके गांव भेजा और देवी मां से उसके आने

मैं अपने एक दोस्त रामकुमार के साथ मिलकर विद्या कोचिंग सेंटर खोला, जहां मेरी मुलाकात राकेश से हुई। इस बीच मैं राकेश के तरफ आकर्षित हुआ और उसका ख्याल रखने लगा। उसे मैं पूरे पवित्र भावनांओं के साथ प्यार करने लगा पर उसे बोलने से डरता था कहीं दोस्ती न टूट जाए। हम साथ में सोते चांद देखते, संगीत सुनते, घुमते पर दिल की बात नहीं कह सका। मैने अपने अपाहिज लड़की दोस्त से राकेश की मुलाकात करवाया और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसे देख मैं अंदर ही अंदर रोता, मुझे तकलीफ होती। आखिरकार एक दिन रिंकी के घर वालों को राकेश और रिंकी के प्यार के बारे में पता चल गया। मैं डर गया था, मुझे लगा कि रिंकी के घर वाले राकेश को मार देंगे इसलिए मैने राकेश को अपने घर आने से मना कर दिया। वह मुझसे नाराज हो गया। उसे मनाने के लिए कोचिंग के बच्चों के साथ 25 पोस्टकार्ड उसके गांव भेजा और देवी मां से उसके आने के लिए उपवास पूजा किया। मैं बहुत दुखी था, मुझे लगने लगा शायद राकेश मुझसे कभी

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:50 PM Page 32

के लिए उपवास पूजा किया। मैं बहुत दुखी था, मुझे लगने लगा शायद राकेश मुझसे कभी नहीं मिलेगा?

मैं एक दिन बस स्टैंड समान लेने गया था । 12 दिनों बाद वो लौटा, मेरी आंख भर आई वो मुझे बाहों में लिया। पर अब भी मै अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। राकेश अपने गांव चला गया। मैं पत्र लिखता था वो जवाब नहीं देता था। पर ग्रीष्म अवकाश में पैसा जमाकर उसके गांव गया तो सामान्य दोस्त की तरह व्यवहार किया। मैं कैसे कहता मुझे दोस्ती टूटने का डर था। मैं अक्सर पत्र लिखता जवाब नहीं आता था। पढ़ाई छोड़कर बार-बार नहीं जा पाता वो पुलिस में एल्पाई किया और पुलिस डाईवर बन गया। एक दिन उसके एक रिलेटिव ने बताया की राकेश की शादी हो गई। मेरा पहला प्यार मुझसे दूर जाता रहा लेकिन मैं समाज और दोस्ती टूटने के डर से कुछ नहीं बोल पाया। इस घटना ने मुझे अंदर से चूर-चूरकर दिया था।

इसके बाद कई लड़के मेरी जिन्दगी में आए पर किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। इन घटनाओं के कारण मैं नकारात्मक होने लगा। बडे होते-होते मै खुद को छुपाने लगा अब लिपिस्टक, पाउडर, आई ब्रो, क्रीम, थ्रेडिंग, नेल पालिश, काजल लाना बहुत कम कर दिया। मुझे याद है मेरे गांव में किन्नर सब्जी उठाते थे। उनको देखकर मुझे डर लगता था क्योंकि सुना था वे लोग उठा कर ले जाते हैं और मुझे लगता था उन्हें काम करना चाहिए। अपने परिवार के साथ पेंट शर्ट में रहना चाहिए। गांव में तेजा नाम का लडका जो मेरे जैसे था पर उसे सब जानते थे। उसका कपड़े का दुकान था। उससे भी बात करने से मुझे डर लगता था कहीं उससे बात करने पर मेरी सच्चाई सामने ना जाए। मेले में झूला झूलना, सर्कस देखना, गन्ना, केसूर , कंद,मुर्रा, भजिया बडा बहुत पसंद था। इस दौरान दर्शन और शंभु मेरे अच्छे दोस्त बने । उनके साथ पढाई, और कैरियर की बांते होती। पर उन्हें भी अपनी भावनाओं को बताने में डर लगता था। सोचता था कहीं वे मेरा मजाक ना उड़ा दे।गांव में बड़े भाई लोग पढ़ाई छोड़कर दारु पीने लगे, मां चिंता करती थी और धीरे-धीरे बुजुर्ग होने लगी। मुझे जल्दी काम करना था ताकि मां को आराम दे सकूं। मैं डिस्क व्यवसाय से जुड़ गया। मैं व्यवसाय बढ़ाने लगा और पैसे के प्रति सीरियस हो गया। काम के साथ दूसरे नौकरी के लिए भी एप्लाई करता रहता था। मैने प्राइवेट बीए भी किया। शिक्षाकर्मी बना और घर से बाहर चला गया। स्कूल में बच्चों को पूरा ध्यान दिया। उन्हें घर में पढ़ने बुलाता था और सुबह खेल मैदान में खेलाता। वहां मेरी अरुण से मलाकात हुई जो शिक्षाकर्मी था। उनका तबीयत खराब रहता था, मैं उसकी सेवा करता। ठीक होने पर वो भी चला गया। कुछ महीनों बाद संविदा खत्म हुआ और मैं भिलाई आईआईटी करने आ गया। बहन जीजा के मदद से मेरा एडमिशन हुआ। मेरे चाल से लड़के क्लास में छेड़ने लगे। पढ़ते वक्त चाक से मारते और अश्लील हरकते करते। मैं कई दिनों तक इसे नेगलेक्ट किया और एक दिन विद्रोह करने पर सब लोग पकड़कर मुझसे मारपीट किए लेकिन मैने पढ़ाई छोड़ा नहीं और प्रथम आया। अब कुछ हद तक सब लोग ठीक-ठाक बातें करने लगे। यहां नवीन मेरा अच्छा दोस्त बना, जो आज तक कायम है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद काम की खोज में रायपुर आया। एसटीडी-पीसीओ आपरेटर , होटल वेटर के लिए इन्टरव्यू दिया और आगे इंटरव्यू देने पर होटल ज्योति में मैनेजर बन गया और बीए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से प्राइवेट किया, लेकिन वहां खुद को बांध कर रखना पड़ता था और हर बात पर रोक टोक किया जाता था। मैं हर महीने कुछ रुपए जमा कर मां को घर की जरुरतों के लिए पैसा भेजने लगा। होटल में मनीष और परवेज मेरे जैसे थे पर एक ओपन और एक समाज के डर से क्लोज था।

एक दिन होटल के वेटर ने बताया कि कलेक्टोरेट गार्डन

मेले में झूला झूलना, सर्कस देखना, गन्ना, केसूर , कंद,मुर्रा, भजिया बडा बहुत पसंद था। इस दौरान दर्शन और शंभु मेरे अच्छे दोस्त बने । उनके साथ पढाई, और कैरियर की बांते होती। पर उन्हें भी अपनी भावनाओं को बताने में डर लगता था। सोचता था कहीं वे मेरा मजाक ना उड़ा दे।गांव में बड़े भाई लोग पढ़ाई छोड़कर दारु पीने लगे, मां चिंता करती थी और धीरे-धीरे बुजुर्ग होने लगी। मुझे जल्दी काम करना था ताकि मां को आराम दे सकूं। मैं डिस्क व्यवसाय से जुड़ गया। मैं व्यवसाय बढ़ाने लगा और पैसे के प्रति सीरियस हो गया। काम के साथ दूसरे नौकरी के लिए भी एप्लाई करता रहता था। मैने प्राइवेट बीए भी किया। शिक्षाकर्मी बना और घर से बाहर चला गया। स्कूल में बच्चों को पूरा ध्यान दिया। उन्हें घर में पढ़ने बुलाता था और सुबह खेल मैदान में खेलाता। वहां मेरी अरुण से मलाकात हुई जो शिक्षाकर्मी था। उनका तबीयत खराब रहता था, मैं उसकी सेवा करता। ठीक होने पर वो भी चला गया।

में बहुत से हमारे जैसे लोग आते हैं, खूब डांस करते हैं और लड़कियों जैसे बात करते हैं। मै दूसरे रात गार्डन गया और देखा और सोचा कि इनके माता-पिता इन्हें लड़के समझते है और ये यहां लड़की जैसे नाच गा रहे हैं। हमेशा सोचना था मै अकेला, ऐसा क्यूं हूं?, ईश्वर ने मुझे अनोखा और श्रापित जीवन क्यूं दिया। पर उस दिन के बाद अक्सर गार्डन जाता और धीरे-धीरे लोगों से बात हुई। शरण के व्यवहार से मैं प्रभावित था और दोस्ती भी किया और इस प्रकार मेरी जिन्दगी के अवसाद कम होने लगे। रोज रात होटल के छुट्टी के बाद गार्डन आना, फिलिंग शेयर करना, घूमना, इसी समय कुछ लड़के मुझे सेक्स के लिए आफर किया और मेरे नहीं जाने पर मारपीट किया। उस दिन से मैने सोचा कि मैं खुद पर भरोसा रख कर किसी से भी साल भर तक यौन संबंध नहीं बनाऊंगा और कामयाब भी रहा। उस दौरान साजी (होटल गेस्ट) से आकर्षित हुआ। सुबह -शाम उसका ख्याल रखने लगा और एक दिन वो रुम में बुला कर मुझसे सेक्स का आफर किया। मैं रोते-रोते चला गया। वो समझ गया मुझे प्यार चाहिए और बोला कि तुम अच्छे हो पर किसी पर विश्वास मत करना। बहुत रोया और दिल को समझाने की भी कोशिश किया। मैने अपने दोनो बडे भाईयों को आटो खरीद तक दिया ताकि सेटल हो जाए लेकिन भाई लोग कुछ दिन ठीक थे पर कुछ महीनों बाद शरीब पीने लगे। शराब छुड़ाने के लिए कई दवाई दिया पर कुछ हासिल नहीं हुआ। शराब पीने के बाद वे मेरे व मां से गाली-गलौज व लड़ाई -झगड़ा करते थे। मकान मालिक भी इसे पसंद नहीं करते थे और हमें मकान खाली करने के लिए बोलते थे। बहन लोगों को भी हमारी चिंता होती थी। कई बार होटल में बॉस के व्यवहार से दुखी होकर काम छोड़ने पर मजबूर हो गया। भाई गांव चले गए थे। कुछ दिन गांव में मां के साथ रहने के बाद रोजगार की तलाश में रायपुर आया और दूसरे होटल में काम करने लगा। कुछ साल ठीक था पर बॉस मेरे बोलने -चलने व चेहरे के हाव- भाव को लेकर दबाव शुरू कर दिया। इसी बीच में रेस्टोरेंट के सुपरवाइजर को पसंद करने लगा। हम लोगों के बीच बातचीत की शुरुआत हो गई। धीरे-धीरे मेरे मन में भरत के लिए प्यार बढ़ता चला गया। रोज दो चाकलेट और न्यूज पेपर और 1 फूल में उसे देता था। दो साल में वो चार बार घर आया। आज तक जिस प्यार के नजरों के लिए तरसता था वो मुझे उस नजर से देखता था। मैं अपने रिश्ते को पवित्र नाम दिया। उसकी तबीयत खराब होने पर डोंगरगढ पांच नारियल चढ़ाने पैदल गया था। उसकी तबीयत सुधर गई। मेरे पैरों पर छाले आने पर मेरी तबीयत खराब हो गई लेकिन उसने कोई खबर तक नहीं ली। वो मुझे फोन लगाने मना किया था और और पसंद नहीं करता था। वो काम छोड़कर गांव में सेटल होने जा रहा था। मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं दुखी हो गया। जब मुझे इस बात का पता चला तो आने का वादा कर चला गया। जब घर जा रहा था तब मै उससे मिलने स्टेशन गया। सुबह स्टेशन में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था लेकिन टिफिन देने पहुंचने पर वो अनदेखा कर दिया। उससे मिलकर मेरे आखो में आसूं आ गए। वो चला गया मै रोते रह गया और उसके बाद मै किसी से नहीं जुड़ने के लिए ठान लिया। गांव से उसका फोन भी नहीं आया। महीने बाद उसका फोन आया। मै अपने ग्रुप के साथ धीरे-धीरे घर में रहने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसका फोन आया कि मैं अपने गर्लफ्रेन्ड के साथ गार्डन में हूं। मैं अपनी जगह समझ गया।

मैं अपने रिश्ते को पवित्र नाम दिया। उसकी तबीयत खराब होने पर डोंगरगढ पांच नारियल चढ़ाने पैदल गया था। उसकी तबीयत सुधर गई। मेरे पैरों पर छाले आने पर मेरी तबीयत खराब हो गई लेकिन उसने कोई खबर तक नहीं ली। वो मुझे फोन लगाने मना किया था और और पसंद नहीं करता था। वो काम छोड़कर गांव में सेटल होने जा रहा था। मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं दुखी हो गया। जब मुझे इस बात का पता चला तो आने का वादा कर चला गया। जब घर जा रहा था तब मै उससे मिलने स्टेशन गया। सुबह स्टेशन में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था लेकिन टिफिन देने पहुंचने पर वो अनदेखा कर दिया। उससे मिलकर मेरे आखो में आसूं आ गए। वो चला गया मै रोते रह गया और उसके बाद मै किसी से नहीं जुड़ने के लिए ठान लिया। गांव से उसका फोन भी नहीं आया। महीने बाद उसका फोन आया। मै अपने ग्रुप के साथ धीरे-धीरे घर में रहने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसका फोन आया कि मैं अपने गर्लफ्रेन्ड के साथ गार्डन में हूं। मैं अपनी जगह समझ गया।

कभी फोन आता तो दूसरे विषयों पर बाते होती थी। शिकायत भी करता तो शायद मुझसे बातचीत बंद होने का डर लगा करता था। मैं डिप्रेशन में रहने लगा। मेरे समुदाय के दोस्त मुझे घुमाने ले जाने के बाद एक दिन बूढ़ातालाब में

गम्मत नाचा देखने गए। वहीं एक लड़के से बाचचीत हुई उसका नाम मुरली था और उसने मेरा मोबाइल नंबर लिया और दूसरे दिन उसका फोन आया। उन दिनों मै उदास था और दोस्त की कमी थी। दोस्ती बढ़ने लगा। वो मेरा ध्यान रखने लगा और घुमाने गांव ले गया। अपने परिवार से मिलाया और मेरा ख्याल रखने लगा। मैं खुश रहने लगा। जिस दोस्ती व प्यार के लिए मैं तरसता था वो मुझे दे रहा था। कई महीनों तक यह दोस्ती चलता रहा और एक दिन रात में उसने साथ सोने की इच्छा जताई मैने मना कर दिया। मै भरत को काल किया कि मै आपके पास राजस्थान आना चाहता हूं पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कई दिनों तक जवाब नहीं आने पर एक दिन मुरली के साथ सोने के इच्छा पर अपनी सहमति दे दी। कई दिनों बाद मुरली को सब कुछ मान कर समर्पण कर दिया।

कई दिनों तक सब ठीक चलता रहा और एक दिन शादी की इच्छा जताने पर कहा कि लड़का-लड़का शादी नहीं कर सकते। मैने अपनी खुशी मांगी और सिर्फ शादी में हम दोनों ही रहने की बात कही। वो नाराज होकर गांव चला गया वापसी आने पर बातचीत नाराजगी के साथ होती थी। मैं अपनी पूरी कमाई उसे देने लगा वो मेरे साथ घर में रहने लगा। उसकी पसंद-नापसंद,खाना, परिवार का राशन, कपड़ा इत्यादि का ख्याल रखना और उसे मोबाइल प्रशिक्षण में भेजना चालू कर दिया थ।धीरे- धीरे मुरली का लालच बढ़ने लगा। उसका पैसा मांगना, कपड़े खरीदवाना उसके आदत में आ गया था। मैं अपने परिवार और मां को पहले जैसा समय देने में समर्थ नहीं था। मुरली के नाम से घर में लड़ाई होने लगा।

समय बीतने लगा साल भर बाद उसने मेरे दबाव में दीवाली के दिन मंदिर में मंगलसूत्र बांधा। पर कुछ दिनों बाद परिवार में उसकी शादी की बात चलने लगी। मुझसे अलग होने लगा घर में चला गया। उसकी ट्रेनिंग पुरी हो गई। उसके लिए दुकान खोलने में सहायता दिया। धीरे-धीरे वो फोन उठाना बंद कर दिया। उसके पास जाने से लड़ाई-झगड़ा बढ़ने लगा। मै सब खुश होकर जाता पर दुखी हो कर वापस लौटता। मै गांव गया तब पता चला उसकी सगाई हो गई। मै टूट गया फिर भी मेरे पास जो भी था, उसकी शादी में मदद कर छोड़ के आ गया। शादी के समय उसने फोन नहीं उठाया और मुझे छोड़ दिया। तब मैने खुद को संभालने, मानसिक तनाव को भुलने के लिए रो-रोकर दूसरों के साथ संबंध बनाने लगा।

अक्सर मोहल्ले के लड़के आने-जाने पर छक्का-छक्का बोल कर चिढ़ाते थे। मैं कई महीनों तक अनसुना कर देता था। पर एक दिन मेरे जवाब देने पर पूरे लड़के ग्रिल, दरवाजा तोड़कर उपर मारने चढ़े। ये सब रोकने पर मां को चोटे आई। पुलिस से मदद के लिए सोचा पर यहीं रहना है सोचकर रिपोर्ट नहीं लिखाई। इस घटना के बाद मेरी मां पागल जैसे करकतें लगी। वो कहती थी कोई तलवार लेके आ रहा है, मेरे बेटे को मार रहे हैं। मां की तबीयत बिगड़ने लगी। मां के लिए रात और दिनभर जागना पड़ता था। मैं और दीदी बहुत इलाज करवाए पर मां मुझे अकेला छोड़ के चली गई। काश इन अपशब्दों पर प्रतिबंध होता। काश हमारी यौनिकता के अनुरुप शादी होती। ना अपनों से बिछड़ जाते ना कोई एचआईवी पाजीटिव होता।

अध्याय-8

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय व छत्तीसगढ़ शासन के दिशा-निर्देश का तुलनात्मक अध्ययन

राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग है। छत्तीसगढ़ में नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा एक बोर्ड का भी गठन किया गया है जिसे तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड कहा जाता है। यह बोर्ड विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका व आवास के मुद्दों पर कार्य करेगा तथा आवश्यकतानुसार तृतीय लिंग समुदाय के मुद्दों पर योजनाओं का निर्माण व उसका क्रियान्वयन का भी कार्य करेगा।

सामाजिक न्याय मंत्रालय के प्रमुख निर्देश तथा उन पर छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए आदेश की संक्षप्ति जानकारी

कमांक	सामाजिक न्याय मंत्रालय के निर्देश	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश	संबंधित विभाग का नाम
1	सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि कि तृतीय लिंग समुदाय हेतु सामाजिक भेदभाव रोकने तथा ट्रांसजेंडर बच्चों व युवाओं की शिक्षा तथा कैरियर गाइडेंस के लिए उचित व्यवस्था करे।	1 तृतीय लिंग समुदाय के बच्चों के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, नि:शुल्क छात्रावास सुविधा तथा अन्य सुविधाएं रियायती दर पर उपलब्ध कर हेतु विद्यमान योजनाओं में निहित प्रवाधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें। 2 महाविद्यालय व संस्था में भेदभाव निगरानी समिति का गठन किया जाए। इस समिति मे ट्रांजेडर व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। 3 ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों का समूह बनाएं, पुस्तकालयों में ट्रांसजेंडर विषय पर पुस्तकें रखें तथा स्टाफएवं छात्रों को फिल्म के माध्यम से संवेदीकृत करें। 4 कैरियर गाईडेंस के लिए हेल्पलाइन बनाएं। 5 व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे कदम उठाए ताकि ट्रांसजेंडर वर्ग समाज में अपने सम्मान एवं स्थान को पुन: प्राप्त कर सकें।	स्कूली शिक्षा विभाग , उच्च शिक्षा विभाग, जनशक्ति तकनीकी नियोजन विभाग द्वारा जारी किया आदेश
	सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे तृतीय लिंग समुदाय के रोजगार, आजीविका तथा सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम तैयार करे तथा	1 महात्मा गांधी नेशनल रुरल एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) अंतर्गत तृतीय लिंग के व्यक्तियों को लाभ दिया जाना है। 2 आजीविका मिशन अंतर्गत तृतीय लिंगं के व्यक्तियों को लाभ दिया जाए एवं स्व- सहायता समूह बनाकर आजीविका मिशन के कार्यों से जोड़ जाए। 3 इंदिरा आवास योजना अंतर्गत तृतीय लिंग के	ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग द्वारा जारी आदेश

	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था करें।	व्यक्तियों को आवास प्रदान किया जाए। इस हेतु यदि तृतीय लिंग के व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है तो उन्हें प्राथमिका दिया जाना है। 4 शासन की ओर से संचालित कार्यक्रमों या उपक्रमों में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के गैर भेदभाव रुप से जुड़ने एवं महिला या पुरुष के लिए प्रावधानित समान लाभ लेने हेतु व्यवस्था किया जाए ताकि लिंग आधारित भेदभाव समाप्त किया जा सके। 5 तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु पृथक शौचालय के निर्माण हेतु कार्यवाही किया जाना है। सार्वजनिक स्थलों व भवनों में तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु आवश्यकता का आंकलन कर पृथक शौचालय, कमरे इत्यादि के लिए निर्माण कराने हेतु कार्ययोजना प्रेषित करें। इसके लिए स्वच्छ पंचायत सप्ताह में विषेश स्वच्छता ग्राम सभा के माध्यम से स्वच्छता हेतु बनाई जाने वाली कार्ययोजना में सम्मिलित कर प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। 6 ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य एव समाज कल्याण हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा तृतीय लिंग के विकास हेतु किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की जाए एवं सामान्य सभा द्वारा समय-समय पर विशेष समीक्षा की जाए एवं ग्राम सभा में चर्चा हो।	
2	सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि तृतीय लिंग समुदाय भयमुक्त तथा स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने के लिए उचित माहौल का निर्माण करें तथा उनके मौलिक अधिकारों का हनन को रोकने हेतु व्यवस्था करे।	सभी पुलिस अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि प्राप्त शिकायत का विधि अनुसार निराकरण करें, अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा तृतीय लिंग समुदाय व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कृत किया जाता है जिसमें उसके मानव अधिकारों का हनन होता है उसके विरुद्ध अपराधिक एवं अनुशासात्मक कार्यवाही की जाएगी।	गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी
	तृतीय लिंग को कानूनी मान्यता प्रदान करने हेतु राज्य प्रत्येक जिला में एक कमेटी का निर्माण करे। यह कमेटी तृतीय लिंग समुदाय के	तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने हेतु जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कमेटी का अध्यक्ष कलेक्टर या अपर कलेक्टर होंगे। अन्य सदस्यों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधियो, एक मनोवैज्ञानिक, संयुक्त संचालक	समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश

	व्यक्ति को परिचय पत्र या प्रमाणपत्र जारी करेगा।	या उप संचालक समाज कल्याण होंगे। यह समिति तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी करेगी। यह प्रमाणपत्र सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए राशनकार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड एवं जन्म प्रमाणपत्र इत्यादि के लिए मान्य होगा।	
	तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति को सामाजिक शर्म, आत्मघाती प्रवृत्ति व मानसिक अवसाद से बचाने के लिए समाज में पर्याप्त जागरुकता विकसित करे।	1 तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्ति स्वयं को समाज का अभिन्न अंग महसूस करें और किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का शिकार न हो, इस हेतु जनजागरण पैदा किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कल्याकारी योजनाओं का न केवल प्रचार-प्रसार किया जाए, बल्कि संभाग व जिला मुख्यालयों पर ऐसे होर्डिंग भी लगाए जाए जिससे तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों में आत्म विश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना पैदा हो सके। 2 शारीरिक व मानसिक अत्याचार की स्थिति में नियमित काउंसलिंग सेवा प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित किए जाए। प्रदेश के 9 जिलों जिला नि:शक्तजन पुर्नवास केन्द्र संचालित हैं, जिनके माध्यम से सभी संभागों में नियमित काउंसलिग केन्द्र प्रारंभ किए जाएं।	समाज कल्याण विभाग तथा जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी
	तृतीय लिंग समुदाय को समाज में उचित स्थान दिलाने हेतु आवास, शिक्षा, आजीविका आदि मुद्दों पर सरकार कार्य करे।	तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के डर, शर्म, सामाजिक दबाव, हताशा, आत्मघाती प्रवृत्ति एवं सामाजिक पृथकता गंभीर समस्याएं विद्यमान होती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि स्व सहायता समूह के माध्यम से एसे तृतीय लिंग के बच्चों को न केवल समर्थन दिया जाए बल्कि समाज में उचित स्थान भी दिलाया जाए। इस हेतु आवश्यकता इस बाद की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्व सहायता समूह के माध्यम से तृतीय लिंग के बच्चों के माता-पिता तक पहुंच बनाया जाए एवं उन्हें इस बात की समझाईश दी जाए कि वे अपने बच्चों में हताशा एवं आत्मघाती प्रवृत्ति न आने दे। तृतीय लिंग वर्ग को समाज में उचित स्थान दिलाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समस्त आवश्यक प्रयास किए जाए। 2 राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अचल संपत्ति अतंरण नियम 1996 के नियम 8 के आरक्षण रोस्टर में तृतीय लिंग समुदाय के लिए दुकानों के आबंटन हेतु 2 प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	महिला एव बाल विकास विभाग द्वारा तथा नगरीय प्रशासन विकास विभाग

		2 राज्य शासन द्वारा बीएसयूपी, आईएचएसडीपी एव अन्य केन्द्र राज्य परिवर्तित योजनाओं के अंतर्गत अनाबंटित आवास गृहों के 2 प्रतिशत आवास गृहों को स्थानीय नगरीय निकाय में निवासरत पात्र या आवासहीन तृतीय लिंग समुदाय को आबंटित करने का निर्णय लिया जाता है। 3 प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास के लिए कराए गए या कराए जाने वाले सर्वे कार्य में भी तृतीय लिंग समुदाय को भी अनिर्वाय रुप से सम्मलित किया जाएगा।	
	सार्वजनिक स्थलों व सेवा केन्द्रों में लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करे। इस हेतु सभी सरकारी विभागों व उपक्रमों के व्यक्तियों को तृतीय लिंग समुदाय मुद्दों के प्रति जागरुक किए जाए।	चिकित्सालय के कर्मियों को तृतीय लिंग समुदाय के प्रति सकरात्मक व्यवहार एव निष्पक्षता में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सकीय स्टाफ का तृतीय लिंग समुदाय के समस्त विषयों को समाहित करते हुए संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण आयोजित करें। तृतीय लिंग समुदाय के चिकित्साकालयों में तृतीय लिंग समुदाय हेतु पृथक से शौचालय की सुविधा प्रदान करें जिससे कि तृतीय लिंग समुदाय अधिकाधिक रुप से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकें एवं स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता युक्त जीवन यापन कर सके।	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
	सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया गया है कि तृतीय लिग समुदाय के व्यक्ति के लिए पृथक शौचालय बनाने की व्यवस्था की जाए।	लोक निर्माण द्वारा जिन भवनों के नवीन प्राक्कलन प्रस्तुत किये जाने है उन सभी भवनों के प्राक्कलन में तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिए पृथक शौचालय का प्रावधान करें। समस्त गैर आवासीय भवनों में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक से शौचालय का प्रावधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश
	तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति हेतु नि:शुल्क हार्मोंस थेरेपी तथा लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी की व्यवस्था सरकारी अस्पताल में की जाए।	इस हेतु लिंग प्रत्यारोपण सेंटर में सर्जरी की सुविधा विकसित किया जाना है। जिसके अंतर्गत तृतीय लिंग समुदाय की आवश्यकता के अनुसार शल्यक्रिया की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके ताकि तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति निर्भयता पूर्वक उक्त स्वास्थ्य सुविधा का भी लाभ लेते हुए गुणवत्तायुक्त जीवन निर्वाह कर सकें। 01. शल्यक्रिया सुविधा- मेल टू फिमेल/ फिमेल टू मेल तृतीय लिंग व्यक्ति को शल्य क्रिया की	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:52 PM Page 39

		सुविधा जैसे- ए.एम. टी एफ- पेनेक्टॉमी, ऑरचीडेक्टोमी, नोवेगीना आदि। ए.एम. टी एफ.- मास्टेक्टॉमी हॉयेक्टॉमी, ऑफोरेक्टोमी आदि। 02. गैर शल्य क्रिया सुविधा- जैसे फिमेल हॉर्मोन/मेल हॉर्मोन थैरेपी/वोकल थैरेपी/ आदि की सुविधा उपलब्ध हो।	
	तृतीय लिंग को कानूनी मान्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर को स्वेच्छा से लिंग चयन करने की आजादी दी जाए।	01. शासन के सभी विभागों / निगमों /मण्डलों/ आयोगो ं/ शासकीय संस्थाओं / सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन उनके सरकारी दस्तावेजों में सेक्स के स्थान पर लिंग निर्दिष्ट किया जाए/ तथा 'पुरूष' 'महिला' के अतिरिक्त तृतीय लिंग वर्ग का भी विकल्प दिया जाए। 02. यदि कोई प्रारूप/प्रपत्र किसी विधि द्वारा निर्धारित किया गया हो तो उक्त नियमों में संशोधन भी कर लिया जावे। 03. सक्षम प्राधिकारी द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को जारी परिचय-पत्र सभी कार्यालयों द्वारा मान्य किया जाए। 04. कृपया उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित किया जाए।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश
	सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे तृतीय लिंग समुदाय के रोजगार, आजीविका तथा सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम तैयार करे।	ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के कैरियर गाईडेंस के लिए हेल्पलाईन बनाये जाने हेतु तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसी प्रकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ऑनलाईन नियोजन के लिए विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान सम्मिलित करें।	तकनीकी नियोजन एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी आदेश

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:52 PM Page 40

छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक सितंबर, 2014

क्रमांक एफ 1–2/2014/1/एक :: राज्य शासन एतद्द्वारा, रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 400/2012, नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 के अनुपालन में **"तृतीय लिंग"** समुदाय के व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं कल्याण कार्य हेतु विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों/योजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए **"समाज कल्याण विभाग"** को नोडल विभाग घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के0आर0 मिश्रा)
अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

पृ0क्रमांक एफ 1–2/2014/1/एक, नया रायपुर, दिनांक 11 सितंबर, 2014

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, मंत्रालय, शास्त्री – भवन, नई दिल्ली–110001.
3. माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़, के प्रमुख सचिव, राज भवन, रायपुर ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।
5. आयुक्त जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर ।

क्रमांक 265 सचिव/2011
म.प्रा.वि./समाज कल्याण विभाग
दिनांक 11.09. 2011

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–5/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 4/10/ 2014

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

विषय :– तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान के संबंध में।

माननीय् सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 के अनुपालन हेतु भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है :–

(i) शासन के सभी विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/शासकीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन उनके सरकारी दस्तावेजों में सेक्स (Sex) के स्थान पर लिंग (Gender) निर्दिष्ट किया जाए। तथा 'पुरूष', 'महिला' के अतिरिक्त 'तृतीय लिंग' वर्ग का भी विकल्प दिया जाए।

(ii) यदि कोई प्रारूप/प्रपत्र किसी विधि द्वारा निर्धारित किया गया हो तो उक्त नियमों में संशोधन भी कर लिया जावे।

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को जारी परिचय–पत्र सभी कार्यालयों द्वारा मान्य किया जाए।

2/ कृपया उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डी.डी. सिंह) 6/X/14
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः ..2

(15)

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

//संशोधित आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 06-12-16

क्रमांक एफ 7-1/2014/स.क./26 :: राज्य शासन एतद्द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय कर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए समसंख्यक आदेश दिनांक 04 अक्टूबर 2014 में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार "तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड" का गठन करता है :-

1.	मान. मंत्री, समाज कल्याण, छ.ग. शासन	-	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग	-	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, विधि विभाग	-	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग	-	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	-	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	-	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	-	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	-	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग	-	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग	-	सदस्य
14.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	-	सदस्य
15.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग	-	सदस्य
16.	सचिव, समाज कल्याण विभाग	-	सदस्य
17.	संचालक, समाज कल्याण	-	सदस्य
18.	संचालक/अपर संचालक, समाज कल्याण विभाग	-	सदस्य/सचिव
19.	तृतीय लिंग वर्ग के 04 तथा स्वंयसेवी संस्था का एक प्रतिनिधि	-	अशासकीय सदस्यगण

2/ बोर्ड का निम्नानुसार दायित्व होगा :-

2.1 बोर्ड अन्तर्विभागीय समन्वय कर योजनाओं का लाभ दिलायेगा।

2.2 बोर्ड इस वर्ग की सामाजिक सुरक्षा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं आय वृद्धि के बिन्दुओं पर जोर देगा।

2.3 बोर्ड एक ऐजेन्सी के रूप में इस वर्ग के लिये योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन कर सकेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सोनमणि बोरा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. एफ 13–5/2014/आ.प्र./1–3. नया रायपुर, दिनांक 26/11/2016
प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़

विषय :– तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.4.2014 के अनुपालन में भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर, सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 04.10.2014 के द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त परिपत्र के अनुक्रम में पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि शासन के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ निगमों/मण्डलों/आयोगों/शासकीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों में, सरकारी दस्तावेजों में जहां कहीं भी "पुरूष" तथा "महिला" के लिए विकल्प निर्धारित किए गए हों, उनमें वहाँ "तृतीय लिंग वर्ग" के लिए भी विकल्प का प्रावधान अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित किया जाए।

2/ यह भी निर्देश दिए जाते है कि तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित करने व तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों से आवश्यक समन्वय करने हेतु राज्य स्तरीय कार्यालयों में "नोडल अधिकारी" की नियुक्ति की जाए एवं नोडल अधिकारी की जानकारी समाज कल्याण विभाग (नोडल विभाग) को प्रेषित की जाए।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः...2

5 DEC 2016
संचालक
समाज कल्याण
छ.ग., रायपुर

(119)

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:::मंत्रालय:::
महानदी भवन, नया रायपुर,492002

क्रमांक एफ 27–8 / टी0एल0 / 2014 / नौ / 17–3 नया रायपुर, दिनांक

प्रति,

अधिष्ठाता,
पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,
रायपुर –छत्तीसगढ़

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को जारी कर क्रियान्वयन किये जाने विषयक ।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ संमिति के अनुशंसा अनुसार प्रदेश के पं. जवाहर लाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में तृतीय लिंग समुदाय हेतु लिंग परिवर्तन की सुविधा प्रदाय किया जाना है।

इस हेतु Gender Change Centre में SRS (Sex Reasignment Surgery) की सुविधा विकसित किया जाना है। जिसके अंतर्गत तृतीय लिंग समुदाय की आवश्यकता के अनुसार शल्यक्रिया की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें ताकि तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति निर्भयता पूर्वक उक्त स्वास्थ्य सुविधा का भी लाभ लेते हुए गुणवत्तायुक्त जीवन निर्वाह कर सकें।

1. <u>शल्यक्रिया सुविधा</u> – Male to Female/ female to male Trans Gender People को शल्य क्रिया की सुविधा जैसे– A. M t F – Penectomy, Orchidectomy, Neovegina आदि ।
B.F t M – Mastectomy, Hystectomy, Oophorectomy आदि ।
2. <u>गैर शल्यक्रिया सुविधा</u> – जैसे– Female Hormone/ Male Hormone Therapy/ Vocal Therapy आदि की सुविधा उपलब्ध हो ।

उक्त सेंटर हेतु आवश्यक योग्य मानव संसाधन, उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

(मरियानुस तिग्गा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस.भवन परिसर
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / / संचिशि / प्रशा.अधि. / 2016

प्रति, रायपुर, दिनांक / 11 / 2016

1. सुश्री विद्या राजपूत,
सदस्य तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड,
रायपुर (छ.ग.)

2. सुश्री रवीना बरीहा,
सदस्य तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः— डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में प्रत्येक गुरूवार को तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु ओ.पी.डी. प्रारंभ करने के संबंध में।

संदर्भः— छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय से जारी पत्र क्रमांक एफ / 27—8 / सा.—3 / 2014 / नौ / 17 / 3 दिनांक 07 / 11 / 2016.

———

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के कंडिका 05 एवं 08 के परिपालन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, तृतीय तल में स्थित आयुष्मान में 17 नवम्बर 2016 से तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए ओ.पी.डी. प्रत्येक गुरूवार को सुबह 11:00 से 12:00 बजे तक संचालित किया जा रहा है। उक्त दिवस में संचालित ओ.पी.डी. में उपस्थित होकर अपना इलाज कराये एवं इलाज से संबंधित सुविधा का लाभ उठायें।

//

संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / 14852-55 / संचिशि / प्रशा.अधि. / 2016

प्रतिलिपि :— रायपुर, दिनांक 16 / 11 / 2016

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग. की ओर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर।
4. संचालक, संचालनालय समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर।

68
18-11-16
1222
22-11-16
21/11/16

संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक: 2835/2061/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल, 2016

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगरपालिक निगम
   छत्तीसगढ़।
2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत
   छत्तीसगढ़।

विषय :– नगरीय निकायों में निवासरत पात्र/आवासहीन तृतीय लिंग समुदाय को केन्द्र/राज्य प्रवर्तित आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आवासगृहों का आबंटन।

---000---

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2014 को तृतीय लिंग सुमदाय के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को लागू किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पारित निर्णय के कियान्वयन के अनुकम में, राज्य शासन द्वारा बीएसयूपी, आईएचएसडीपी एवं अन्य केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत अनाबंटित आवासगृहों के 02 प्रतिशत आवासगृहों को स्थानीय नगरीय निकाय में निवासरत पात्र/आवासहीन तृतीय लिंग समुदाय को आबंटित करने का निर्णय लिया जाता है :–

1. उपरोक्त आदेश बीएसयूपी आईएसएसडीपी एवं पूर्व में निकायों द्वारा वाम्बे आवास योजना अटल आवास योजना तथा रैसने आवास योजना के निकाय में अद्यतन अनाबंटित आवासगृहों के आबंटन पर भी यथा लागू होगा।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना– सबके लिए आवास के लिए कराये गए/कराये जाने वाले सर्वेक्षण कार्य में भी तृतीय लिंग सुदाय को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जावेगा। निकाय के वरिष्ठ अधिकारी सर्वेक्षण की जांच कर, यह सुनिश्चित करेंगे कि, तृतीय लिंग समुदाय के समस्त पात्र हितग्राहियों को नगरीय निकाय द्वारा सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया है।

आदेश का पालन कड़ाई से करते हुए परिपालन की स्थिति से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(बी.एल. सोनी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर, 2015

क्रमांक 6971 /3687/2014/18 ::– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 के अनुपालन में भारत सरकार, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा छ.ग. नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 1994 के नियम 8 एवं छ.ग. नगर पालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम 1996 के नियम 8 के आरक्षण रोस्टर में तृतीय लिंग समूदाय के लिए दुकानों के आबंटन हेतु 2 प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार।

(हस्ताक्षर) 10/9/15

(बी.एल. सोनी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्र. :: 6972/3687/2014/18 नया रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, रायपुर,
5. संचालक, जन संपर्क इन्द्रावती भवन नया रायपुर,
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर,
7. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, छ.ग.,
8. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, छ.ग.,
9. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को एक प्रति वेब साईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. गार्ड फाईल हेतु।

(हस्ताक्षर) 10/9/15

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:55 PM Page 49

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. एफ 13–5/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 01/08/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

विषय :– **तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान के संबंध में।**

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 13–5/2014/आ.प्र./1–3, दिनांक 04.10.2014, 31.07.2015 एवं 26.11.2016.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 के अनुपालन में भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर, संदर्भित परिपत्रों के द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त परिपत्रों के द्वारा शासन के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ निगमों/मण्डलों/आयोगों/शासकीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों में, सरकारी दस्तावेजों में जहां भी "पुरूष" तथा "महिला" के लिए विकल्प निर्धारित किए गए हों, उनमें वहाँ "तृतीय लिंग वर्ग" के लिए विकल्प का प्रावधान अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश है। साथ ही तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित करने व तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों से आवश्यक समन्वय करने हेतु राज्य स्तरीय कार्यालयों में "नोडल अधिकारी" की नियुक्ति करने एवं नोडल अधिकारी की जानकारी समाज कल्याण विभाग (नोडल विभाग) को प्रेषित किए जाने के भी निर्देश दिए गए है।

2/ संदर्भित परिपत्रों के अनुक्रम में निर्देश दिए जाते है कि तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के पहचान एवं कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य रूप से आयोजित की जावे। इस संबंध में प्रसारित निर्देशों को परिणाम मूलक तथा हितग्राहियों की सुविधा सुगम बनाने के लिए जिला स्तरीय समिति को एकल खिड़की व्यवस्था के तहत सम्मिलित किया जाए।

कमशः........2

-2-

3/ यह भी निर्देशित किया जाता है कि तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को विभाग अन्तर्गत संचालित राज्य/केन्द्र की योजनाओं एवं कार्यकमों से लाभान्वित करने संबंधी अद्यतन जानकारी प्रत्येक तिमाही में योजना का नाम/हितग्राही का नाम/लाभ का प्रकार आदि की जानकारी समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

4/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ 13–5/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 01/08/2017

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर ।
2. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाइंट, रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
10. मान. मंत्रीगण/मान. संसदीय सचिव गण के विशेष सहायक/निज सचिव, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
11. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नया रायपुर।
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
13. आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
14. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
15. संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
16. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
17. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
18. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1/8/17
(आर0पी0पाण्डेय)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक / स.क. / प.शा. / 324 / 2014 / 2165 रायपुर, दिनांक 28/11/2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर
(छत्तीसगढ़)

विषय :— तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र/पहचान पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 6–32/2012/स.क./26 दिनांक 17.10.2014

—::00::—

कृपया संदर्भित आदेश का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के पहचान एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति अन्तर्गत जिला स्तर पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र/पहचान पत्र आवश्यक जांच के उपरान्त जारी करेगी। (प्रारूप संलग्न है)

यह प्रमाण–पत्र सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए (तृतीय लिंग वर्ग विशेष हेतु) मान्य होगा।

कृपया संदर्भित आदेशानुसार जिला स्तरीय समिति के गठन में अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति कर जिले में तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों की जानकारी अद्यतन करते हुए ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु एक प्रभावकारी कार्ययोजना बना कर इस संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

C.R. 27/11

(डॉ. सी.आर.प्रसन्ना)
संचालक
समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/स.क./प.शा./324/2014/2166 रायपुर, दिनांक 28/11/14

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. समस्त संयुक्त/उप–संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ। उपर्युक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

C.R. 27/11

संचालक
समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रथम पृष्ठ

तृतीय लिंग व्यक्ति के लिए परिचय पत्र

नाम :—
पिता / गुरू का नाम :—
जन्म तिथि :—
तृतीय लिंग का प्रकार :—
रक्त समूह :—
मो. नं. :—
:—

अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति
(तृतीय लिंग कल्याणार्थ)
जिला — (छ.ग.)

द्वितीय पृष्ठ :—

पता :— ____________________
____
____

निर्देश :—

1. यह प्रमाण–पत्र सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए (तृतीय लिंग वर्ग विशेष हेतु) मान्य होगा।
2. परिचय–पत्र की सुरक्षा का उत्तरदायित्व धारित व्यक्ति का होगा।
3. परिचय–पत्र खो जाने पर तत्काल समीपस्थ पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराये एवं एफ.आई.आर. की छायाप्रति के साथ जिला कार्यालय समाज कल्याण को लिखित रूप सूचित करे।

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

क्र एफ 6–32/2012/स.क./26 राज्य शासन एतद् द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के पहचान एवं कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन करता है:–

1.	कलेक्टर/ अपर कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3.	एक सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4.	तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि	सदस्य
5.	एक मनोवैज्ञानिक/ (स्थानीय तौर पर उपलब्ध)	सदस्य
6.	संयुक्त संचालक/उप संचालक, समाज कल्याण	सदस्य सचिव

2/ उपरोक्त समिति जिला स्तर पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी करेगी। यह प्रमाण पत्र सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए जैसे राशनकार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड एवं जन्म प्रमाणपत्र इत्यादि के लिए (तृतीय लिंग वर्ग विशेष हेतु) मान्य होगा।

3/ समिति की बैठक आवश्यकतानुसार कलेक्टर के द्वारा आयोजित की जा सकेगी।

4/ यह आदेश समन्वय में सक्षम अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र एफ 6–32/2012/स.क./26 नया रायपुर, दिनांक 2014

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
जनसंपर्क विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर

विषयः– तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु जन जागरूकता लाने संबंधी।
संदर्भः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र. 400/2012 में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश।

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 400/2012 के परिपेक्ष्य में 15 अप्रैल, 2014 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसमें तृतीय लिंग वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारने, समाज में उचित स्थान दिलाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किये गये है।

2/ उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सुझावों को निर्णय के परिपेक्ष्य में परीक्षण करते हुए छः माह के अन्दर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2014 तक क्रियान्वयन की जानकारी चाही गई है।

3/ तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्ति स्वयं को समाज का अभिन्न अंग महसूस करें और किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का शिकार न हो, इस हेतु जनजागरण पैदा किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस संबंध में सघन जनजागरण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।

4/ हमारा यह अनुरोध है कि जनसंपर्क विभाग के माध्यम से तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का न केवल प्रचार प्रसार किया जाए बल्कि संभाग एवं जिला मुख्यालयों पर ऐसे होर्डिंग भी लगाए जाएं जिससे तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना पैदा हो सके।

कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराएं।

प्रमु. स.(ब.क.)
9
1.10.14

(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:57 PM Page 55

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

- 4 OCT 2014

क्रमांक/7496/2056/2014/25–1, रायपुर, दिनांक 04/10/2014

प्रति,

आयुक्त,
आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क. 400/2012 मे पारित निर्णय दि. 15.04.2014 के परिपालन हेतु।

संदर्भः– विभागीय पत्र कमांक 7492/आर–2056/2014/25–1, दिनांक 01.10.2014

–00–

विषयांतर्गत रिट पिटिशन (सिविल) कं. 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में तृतीय लिंग समुदाय के संवैधानिक अधिकारों एवं उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को कियान्वित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे–

1. विभागीय संस्थाओं में प्रवेश के समय तृतीय लिंग के व्यक्तियों को उनकी इच्छानुसार पुरूष/महिला/तृतीय लिंग चयनित करने का अधिकार होगा।
2. तृतीय लिंग के व्यक्तियों को विभागीय योजना के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्यपुस्तके, छात्रावास सुविधा, गणवेश आदि उपलब्ध कराया जावे।
3. तृतीय लिंग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों में कक्ष एवं टायलेट पृथक से चिन्हित किये जावे।
4. तृतीय लिंग के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का न होने की स्थिति में पिछड़ा वर्ग के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाये।
5. तृतीय लिंग के व्यक्तियों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हो इस हेतु विद्यालयों में भेदभाव निगरानी समिति का गठन किये जावें।
6. शैक्षणिक संस्थाओं में ट्रांसजेण्डर बच्चों का समूह बनाना, पुस्तकालयों में ट्रांसजेण्डर विषय पर पुस्तके रखा जाना तथा स्टाफ एवं छात्रों का फिल्म के माध्यम से संवेदीकरण किया जावे।
7. उनके केरियर गाईडेन्स के लिए हेल्पलाईन एवं आन लाईन नियोजन हेतु सहायता प्रदान की जावे।

(के. मुरूगन)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / /2056/2014/25–1, रायपुर, दिनांक /10/2014

प्रति,

अवर सचिव,
छ.ग. शासन,
मुख्य सचिव कार्यालय,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषयः– मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क. 400/2012 मे पारित निर्णय दि. 15.04.2014 के परिपालन हेतु।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक एफ/6–32/2012/सं.क./26, दिनांक 29.09.2014

–00–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करे। तदनुसार विभागीय पत्र कमांक /2056/2014 /25–1, दिनांक 04.10.2014 द्वारा विभागाध्यक्ष की ओर रिट पिटिशन (सिविल) कं. 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में तृतीय लिंग समुदाय के संवैधानिक अधिकारों एवं उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को कियान्वित किये जाने हेतु निर्देशित जारी किये गये है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न– यथोपरि।

(डी.डी.कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि

क्रमांक/2558/2056/2014/25–1, **रायपुर, दिनांक** 4 OCT 2014
प्रतिलिपिः–

सचिव, छ.ग. शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर आपके पत्र दिनांक 30–09–2014 के संदर्भ में विभागीय पत्र दिनांक 04–10–2014 की छायाप्रति सूचनार्थ प्रेषित।

सयु.सचिव/उप सचिव अवर सचिव

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क एफ 6–32/2012/स.क./26 नया रायपुर, दिनांक 5th 10. 2014

प्रति,

संचालक,
समाज कल्याण,
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए काउंसलिंग सेवा प्रदाय करने बाबत।

आपको विदित ही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 400/2012 के परिपेक्ष्य में 15 अप्रैल, 2014 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसमें तृतीय लिंग वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारने, समाज में उचित स्थान दिलाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किये गये है।

2/ उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सुझावों को निर्णय के परिपेक्ष्य में परीक्षण करते हुए छः माह के अन्दर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2014 तक क्रियान्वयन की जानकारी चाही गई है।

3/ शासन के निर्देशानुसार केन्द्र शासन द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:–

"शारीरिक एवं मानसिक अत्याचार की स्थिति में नियमित काउंसलिंग सेवा प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित किये जाए।"

4/ प्रदेश के 9 जिलों में जिला निःशक्तजन पुनर्वास केन्द्र (DDRC) संचालित हैं, जिनके माध्यम से सभी संभागों में नियमित काउंसलिंग केन्द्र प्रारंभ किए जाए, जहां शारीरिक एवं मानसिक अत्याचार की स्थिति में नियमित रूप से काउंसलिंग की सेवाएं उपलब्ध हो सके।

इन निर्देशों का पालन तत्काल किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4.x.14
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

(3)

छत्तीसगढ़ शा
समाज कल्याण वि
मंत्रालय
महानदी भवन, नया

क्रमांक एफ 6–32/2012/स.क./26, नया रायपुर, दिनांक ०।/10/2014

प्रति,

संचालक,
समाज कल्याण संचालनालय,
रायपुर.

विषयः– तृतीय लिंग व्यक्तियों के हितों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान का प्रावधान।

सन्दर्भः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक 400/2012 में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक 400/2012 के परिप्रेक्ष्य में 15 अप्रैल, 2014 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसमें तृतीय लिंग वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारने, समाज में उचित स्थान दिलाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सुझावों को निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करते हुए छः माह के अन्दर कियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 तक कियान्वयन की जानकारी चाही गई है।

3/ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार तृतीय लिंग वर्ग के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान का प्रावधान किया जाना है, इस हेतु समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को पूर्व से ही अनुदान दिया जाता है। इस सम्बन्ध में पूर्व से जारी प्रपत्र एवं नियम निर्देश यथावत रहेंगे जिससे तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान हेतु तत्काल कार्यवाही की जा सके।

4/ कृपया की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 2:58 PM Page 59

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Indravati Bhawan, 3rd & 4th Floor, Naya Raipur (Chhattisgarh)
इंद्रावती भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
Phone : 0771-2331341, Fax : 0771-2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

दिनांक 07.10.2014

क्रमांक/पीए/त.शि/2014/688
प्रति,

प्राचार्य
समस्त इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/लाईवलीहुड कॉलेज छत्तीसगढ़।

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को क्रियान्वयन हेतु जारी किया जाना।

संदर्भ :- 1- मुख्य सचिव महोदय का विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.09.2014 (छायाप्रति संलग्न)
2- छ.ग.शासन का पत्र क्रमांक एफ 6-32/2012/स.क./26 दिनांक 30.09.2014

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध संसाधनों से निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क छात्रावास सुविधा तथा अन्य सुविधायें रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु विद्यमान योजनाओं में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
2- महाविद्यालय/संस्था में भेद-भाव निगरानी समिति का गठन किया जावे। इस समिति में ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।
3- ट्रान्सजेंडर विद्यार्थियों का समूह बनाये, पुस्तकालयों में ट्रान्सजेंडर विषय पर पुस्तकें रखें तथा स्टॉफ एवं छात्रों को फिल्म के माध्यम से संवेदीकृत करें।
4- कैरियर गाईडेंस के लिए हेल्पलाईन बनायें।
5- व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे कदम उठायें ताकि ट्रान्सजेंडर वर्ग समाज में अपने सम्मान एवं स्थान को पुनः प्राप्त कर सके।

आपके स्तर पर कृत कार्यवाही से 03 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

आयुक्त-सह-संचालक
दिनांक 07.10.2014

पृ.क्रमांक/पीए/त.शि/2014/688-ए
प्रतिलिपि :-
1- सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2- सचिव, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

आयुक्त-सह-संचालक

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Indravati Bhawan, 3rd & 4th Floor, Naya Raipur (Chhattisgarh)
इंद्रावती भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
Phone 0771-2331341, Fax 0771-2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

क्रमांक/पीए/त.शि/2014/688-बी — दिनांक 07.10.2014

प्रति,

प्राचार्य
समस्त फार्मेसी संस्थान/एम.बी.ए. संस्थान/एम.सी.ए. संस्थान
छत्तीसगढ़।

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को क्रियान्वयन हेतु जारी किया जाना।

संदर्भ :- 1- मुख्य सचिव महोदय का विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.09.2014 (छायाप्रति संलग्न)
2- छ.ग.शासन का पत्र क्रमांक एफ 6-32/2012/स.क्र./26 दिनांक 30.09.2014

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध संसाधनों से निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क छात्रावास सुविधा तथा अन्य सुविधायें रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु विद्यमान योजनाओं में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
2- महाविद्यालय/संस्था में भेद-भाव निगरानी समिति का गठन किया जावे। इस समिति में ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।
3- ट्रान्सजेंडर विद्यार्थियों का समूह बनाये, पुस्तकालयों में ट्रान्सजेंडर विषय पर पुस्तकें रखें तथा स्टॉफ एवं छात्रों को फिल्म के माध्यम से संवेदीकृत करें।
4- कैरियर गाईडेंस के लिए हेल्पलाईन बनायें।
5- व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे कदम उठायें ताकि ट्रान्सजेंडर वर्ग समाज में अपने सम्मान एवं स्थान को पुनः प्राप्त कर सके।

आपके स्तर पर कृत कार्यवाही से 03 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत करावें।

संलग्न :- **उपरोक्तानुसार।**

आयुक्त-सह-संचालक

पृ.क्रमांक/पीए/त.शि/2014/688-सी — दिनांक 07.10.2014

प्रतिलिपि :-

1- सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2- सचिव, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

आयुक्त-सह-संचालक

सयु. सचिव / उप सचिव / अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र एफ 6-100/2014/मबावि/50 नया रायपुर, दिनांक 01-10-2014

प्रति,

1. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/
   जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
   छत्तीसगढ़
2. समस्त एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी,
   छत्तीसगढ़

विषयः— आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्व सहायता समूह के माध्यम से तृतीय लिंग के बच्चों के माता–पिता तक पहुंच बनाया जाना।

संदर्भः— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र. 400/2012 में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश।

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 400/2012 के परिपेक्ष्य में 15 अप्रैल, 2014 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसमें तृतीय लिंग वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारने, समाज में उचित स्थान दिलाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किये गये है।

2/ उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सुझावों को निर्णय के परिपेक्ष्य में परीक्षण करते हुए छः माह के अन्दर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2014 तक क्रियान्वयन की जानकारी चाही गई है।

3/ भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों में डर, शर्म, सामाजिक दबाव, हताशा, आत्मघाती प्रवृत्ति एवं सामाजिक पृथकता जैसी गंभीर समस्याएं विद्यमान होती हैं। इस हेतु यह आवश्यक है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से ऐसे तृतीय लिंग के बच्चों को न केवल पूरा समर्थन दिया जाए बल्कि समाज में उचित स्थान भी दिलाया जाए। इस हेतु आवश्यकता इस बात की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से तृतीय लिंग के बच्चों के माता–पिता तक पहुंच बनाया जाए एवं उन्हें इस बात की समझाईश दी जाए कि वे अपने बच्चों में हताशा एवं आत्मघाती प्रवृत्ति न आने दें। ऐसे अभिभावकों को लगातार समझाईश ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिससे इस वर्ग के बच्चों को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर उनमें

— 2 —

अधिकाधिक आत्मविश्वास पैदा किया जा सकेगा और समाज में भी उन्हें अन्य बच्चों जैसा ही प्यार एवं सुरक्षा की भावना दी जाए।

4/ इस संबंध में पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक में इस विषय पर न केवल निर्देश दें बल्कि तृतीय लिंग वर्ग को समाज में उचित स्थान दिलाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समस्त आवश्यक प्रयास किए जाए। जिला स्तरीय बैठकों में भी इस विषय को एक स्थायी विषय के रूप में शामिल किया जाए जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं भावनाओं के अनुरूप तृतीय लिंग व्यक्तियों हेतु ठोस कार्यवाही कर उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाया जा सके।

कृपया की गई कार्यवाही से हमें अवगत कराएं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

/

(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क. एफ 6-100/2014/मबावि/50 नया रायपुर, दिनांक 01-10-2014

प्रतिलिपिः

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संचालक, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़, नया रायपुर की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश के साथ।
6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक : 7062/3687/18/2014 रायपुर, दिनांक 20/08/2014

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, रायपुर
पंजी क्रमांक ...1165 SW/26/........
दिनांक ......25/08/.......2014

विषय :— रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 6—32/2012/सक/26, दिनांक 01.08.2014

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत न्यायालयीन प्रकरण में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश के अनुपालन में तृतीय लिंग के लिए विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.07.2014 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(एल. डी. चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

उ. सचिव/उप सचिव/अवर सचिव

S.W.

21-8-14

D:\Shriwastav letter\prarup.doc

703

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

14

क./न्याया./सु.कोर्ट / 133/2014 रायपुर, दिनांक 02/07/14

प्रति,

1. समस्त आयुक्त
   नगर पालिक निगम
2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगरपालिका परिषद
3. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगर पंचायत
   छत्तीसगढ़

विषयः— समाज के तृतीय लिंग समुदाय को नागरिक सेवाओं के संबंध में।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि रिट पिटीशन सिविल क. 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा समाज द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के संवैधानिक्र अधिकारों को मान्यता दी गई है तथा न्यायालय द्वारा कुछ विशेष निर्देश पालनार्थ दिये गये है जो निम्नानुसार हैः—

क.	आदेश	अपेक्षित कार्यवाही
1	Hijras, Eunuchs, apart from binary gender, be treated as "third gender" for the purpose of safeguarding their rights under Part III of our Constitution and the laws made by the Parliament and the State Legislature.	(1) निकाय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली नगर पालिक सेवाओं में तृतीय लिंग के समुदाय को भी शामिल किया जावे एवं उनकी शिकायतों आदि पर सामान्य नागरिकों के रूप में कार्यवाही की जावे। (2) नगरीय निकाय की नागरिक सेवाओं से संबंधित सभी फार्म/प्रारूप में लिंग के विरूद्ध तीन विकल्प दर्शाए जावे— पुरूष (M); महिला (F); तथा तृतीय लिंग (X)
2	Transgender persons right to decide their self-identified gender is also upheld and the Centre and State Government are directed to grant legal recognition of their gender identity such as male, female, or as third gender.	सर्वे आदि के समय तृतीय लिंग के व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वह स्वयं को पुरूष, महिला या तृतीय लिंग के रूप में चिन्हांकित करें ।

193

3	We direct the Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases or admission in educational institutions and for public appointments.	तृतीय लिंग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग माना जावेगा तथा उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा नियुक्तियों में तदानुसार आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी।
4	Centre and State Government are directed to operate separate HIV Sero-surveillance centres since Hijras/ Transgenders face several sexual health issues.	तृतीय लिंग के व्यक्तियों की अनेक यौन–स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है जिसके लिए शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में उनके लिए पृथक HIV Sero-Surveillance केन्द्र/कक्ष स्थापित की जावे ।
5	Centre and State Governments should seriously address the problems being faced by Hijras/Transgenders such as fear, shame, gender, dysphoria, social pressure, depression, suicidal tendencies, social stigma, etc. and any insistence for SRS for declaring one's gender is immoral and illegal.	तृतीय लिंग के व्यक्ति भय, संकोच, सामाजिक दबाव, ड्रीप्रेशन, आत्महत्या की प्रवृत्तियां सामाजिक बहिष्कार आदि के शिकार होते है। इन पर लिंग प्रमाणिकरण आदि के लिए दबाव बनाना अनैतिक और अवैधानिक होगा।
6	Centre and State Governments should take proper measures to provide medical care to TGs in the hospitals and also provide them separate public toilets and other facilities.	नगरीय निकायों द्वारा निर्मित की जाने वाली भवनों में तथा सार्वजनिक भवनों को भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक शौचालयों का प्रावधान अनिवार्य रूप से हो।
7	Centre and State Governments should also take steps for framing various social welfare schemes for their betterment.	तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए हितग्राही मूलक योजनाएं बनाई जावे।
8	Centre and State Governments should take steps to create public awareness so that TGs will feel that they are also part	निकायों को जन जागरण अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि तृतीय लिंग के समुदाय को अछूत न माना जावे तथा उन्हें समाज में सम्मान से

	and parcel of the social life and be not treated as untouchables.	जीने का अवसर प्राप्त हो
9	Centre and State Governments Should also take measures to regain their respect and place in the society which once they enjoyed in our cultural and social life.	निकायों को अपने स्तर पर यथासंभव पहल करनी होगी ताकि तृतीय लिंग के समुदाय को हमारी प्राचीन संस्कृति और सामाजिक जीवन में प्राप्त सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके।

उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। अपने अधिनस्थ समस्त शाला के प्राचार्यों तथा चिकित्सालयों के प्रभारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी करें तथा इस संबंध में प्रगति की सतत् समीक्षा करें।

(आर. पी. मण्डल) 1.7.14
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
रायपुर, दिनांक 02 /07/ 2014

पृ. कमांक : न्याया/सु. कोर्ट/133/2014
प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
4. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, संचालनालय, नया रायपुर।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
1.7.14

619

D:\Shriwastav letter\prarup.doc

(8)

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
महानदी भवन, नया रायपुर
मंत्रालय

क्रमांक एफ 18–125/2014/20–दो, नया रायपुर,दिनांक 04/10/2014

प्रति,

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शंकरनगर रायपुर

3. मिशन संचालक राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, छत्तीसगढ़ रायपुर

4. मिशन संचालक, राज्य कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर

5. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल पेंशनबाड़ा, रायपुर ।

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

संदर्भ : छ.ग. शासन मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 6–32/2012/स.क./26 नया रायपुर दिनांक 29.09.2014

–0–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पालन में शासन स्तर से क्रियान्वयन के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। दिये गये निर्देशों के कतिपय बिन्दुओं पर कार्यवाही आपके स्तर पर की जानी है। तद्क्रम में की गई अनुशंसा के पालन में निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. महिला एवं यौन उत्पीड़न के संबंध में, पाठ्यक्रम में संबंधित अंशों को समाहित करने के पूर्व निर्देश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर को दिये गये थे, जिन पर आपके द्वारा कार्यवाही की जा रही है, उक्त क्रम में तृतीय लिंग संबंधी चेतना विकास एवं इन

//2//

वर्ग के बच्चों को उत्पीड़न से बचाने एवं इनके साथ सौहाद्रपूर्ण व्यवहार के लिए एक पृथक अंश के रूप में विषयवस्तु को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने की कार्यवाही की जावें।

कार्यवाही द्वारा – राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शंकरनगर रायपुर

2. लिंग विविधता चेतना एवं तृतीय लिंग के बच्चों को प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन वर्ग के विद्यार्थियों के समूह निर्माण, छात्रों एवं शिक्षकों में चेतना एवं विकास फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से तथा इस विषयवस्तु पर दृश्य–श्राव्य सामग्री, पुस्तकालय, आदि की व्यवस्था के निर्देश के पालन में कार्यवाही की जावें।

कार्यवाही द्वारा – राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शंकरनगर रायपुर

3. स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में संचालित केन्द्रीय योजनाओं जैसे एस.एस.ए. एवं आर.एम.एस.ए. अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल में तृतीय लिंग से संबंधित समस्याओं को पाठ्यकम में शामिल करने हेतु शीघ्र ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेगें, तदकम में निर्देश प्राप्त होने पर समस्त कार्यवाहियॉं सुनिश्चित की जावें ।

4/X/14

(एम0एन0रामुरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां.कमांक एफ 18–125/2014/20–दो नया रायपुर दिनांक 04/10/2014

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा/ आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर।
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ ।
3. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास/ आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर।
4. आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शंकरनगर रायपुर ।
6. मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन पेंशनबाड़ा रायपुर ।
7. मिशन संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पेंशनबाड़ा रायपुर ।

सयु.सचिव/उप सचिव अवर सचिव

4/X/14

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

सचित

(1)

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
महानदी भवन, नया रायपुर
मंत्रालय

क्रमांक एफ 18–125/2014/20–दो, नया रायपुर,दिनांक 04/10/2014

प्रति,

1. जिला कलेक्टर (समस्त)
   छत्तीसगढ़
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   छत्तीसगढ़
3. समस्त सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास विभाग, छत्तीसगढ़

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

संदर्भ : छ.ग. शासन मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 6–32/2012/स.क./26 नया रायपुर दिनांक 29.09.2014

–0–

विषयांतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तृतीय लिंग के संबंध में पारित निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं, इन निर्देशों का विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु उचित निर्देश जारी किया जावें एवं इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें :–

1. तृतीय लिंग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत अन्य बच्चो की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। अन्य अर्हताओं को पूर्ण करते हुए कोई भी शिक्षण संस्था तृतीय लिंग के बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकेगी।

2. तृतीय लिंग अन्तर्गत आने वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान शाला में शिक्षा के समस्त अवसर एवं सुविधाऍं, यथा निशुल्क पाठय पुस्तक, गणवेश, छात्र सुरक्षा बीमा योजना, मध्यान्ह भोजन, आदि, प्राप्त होंगी एवं इस हेतु उनसे किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जावेगा।

3. शाला में संचालित होने वाले समस्त शैक्षणिक कियाकलाप एवं गतिविधियों में इनकी समान सहभागिता सुनिश्चित की जावे, जिससे अन्य बच्चों के साथ मित्रता एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित हो सके। उनकी विशेष आवश्यकताओं एवं जरूरतों को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें विशेष परामर्शदाता सलाहकार के पास भेजा जा सकता है।

4. तृतीय लिंग के बच्चों के द्वारा अन्य अर्हताओं की पूर्ति होने पर और अन्य सभी वांछित योग्यता होने पर उनसे विभेद न करते हुए विद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं कौशल आधारित शिक्षण में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी ।

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 3:02 PM Page 70

//2//

5. जिन विद्यालयों में तृतीय लिंग के बच्चे प्रवेशित है, उन विद्यालयों में शाला प्रबंध समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इन बच्चों का उपहास न हो और न ही यह बच्चे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित हों। ऐसे बच्चों की समस्याओं का निराकरण प्राचार्य अपने विद्यालयों के अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर करेगें।

6. तृतीय लिंग के बच्चों को यौन/लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एवं इन बच्चों में चेतना विकास के लिए जिलों में महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार भेजा जा सकेगा।

7. शाला विकास समिति जन समुदाय में तृतीय लिंग के बच्चों से समान व्यवहार करने हेतु जन चेतना जागृत करने आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देश जारी कर एक प्रति स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित करें।

4/X/14

(एम0एन0राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां.कमांक एफ 18–125/2014/20–दो

नया रायपुर दिनांक 04/10/2014

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा/ आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर।
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ ।
3. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास/ आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर।
4. आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6.. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शंकरनगर रायपुर ।
7. मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन पेंशनबाड़ा रायपुर ।
8. मिशन संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पेंशनबाड़ा रायपुर ।

4/X/14

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

सयु.सचिव /उप सचिव अवर सचिव

सचिव

(10)

:: अतिआवश्यक ::

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
विभागाध्यक्ष भवन, नया रायपुर

क्र0-पुम/7/10/ /CID-1/14 दिनांक /10/2014

प्रति,

सचिव, / ओ0एस0डी0,
छ0ग0 शासन,
गृह (पु0) विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर।

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को क्रियान्वयन हेतु जारी किया जाना के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र0 -7941/1702/दो-गृह/रापुसे/2014 रायपुर दिनांक 01.10.2014

--00--

कृपयां उपरोक्त विषयातर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सिविल क्रमांक 400/2012 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विरूद्ध भारत संघ व अन्य में तृतीय लिंग समुदाय के सवैधानिक अधिकारों एवं उत्थान हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त संबंध में पुलिस महानिदेशक छ0ग0 के द्वारा परिपत्र क्र0-पुमु/7/10/ 49/CID-1/14 दिनांक 07/10/2014 को पालन हेतु जारी किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न कर पालन प्रतिवेदन सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

Sd-

हेतु - अति0 पुलिस महानिदेशक,
अअवि, पु0मु0, नया रायपुर छ0ग0

पृष्ठ0 क्र0-पुम/7/10/500 /CID-1/14 दिनांक 07/10/2014

प्रतिलिपि :-

सचिव, छ0ग0 शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर पत्र क्र0 - एफ 6-32/2012/स.क्र./26 नया रायपुर दिनांक 30 सितम्बर 2014 के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सयु.सचिव / उप सचिव अवर सचिव

सचिव

7/10

हेतु - अति0 पुलिस महानिदेशक,
अअवि, पु0मु0, नया रायपुर छ0ग0

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
विभागाध्यक्ष भवन, नया रायपुर

परिपत्र

दिनांक 15.04.2014 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विरूद्ध भारत संघ व अन्य में तृतीय लिंग समुदाय के संवैधानिक अधिकारों एवं उत्थान हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त दिशा निर्देशों का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को कियान्वित करने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिशा निर्देशानुसार सभी पुलिस अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों के साथ उचित एवं सामान्य व्यवहार करें तथा उनसे प्राप्त शिकायत का विधि अनुसार निराकरण करें, अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा तृतीय लिंग समुदाय व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कृत किया जाता है जिससे उसके मानव अधिकारों का हनन होता है तो उसके विरूद्ध अपराधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

परिपत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजें एवं परिपत्र से अपने अधीनस्थों को अवगत करावें।

हेतु - पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

क्र0-पुम/7/10/499 /CID-1/14
दिनांक 07/10/2014

प्रतिलिपि :-

01. अति0 पुलिस महानिदेशक, छ0स0बल0/नक्स0अप0/प्रशिक्षण, पु0मु0, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
02. अति0 पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पु0मु0, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
03. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, रेंज छ0ग0 रेल सहित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/पंचा./एम.डी.जी./ 89 /2014 रायपुर, दिनांक 01/10/2014

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–छत्तीसगढ़
3. समस्त परियोजना निदेशक
   डी.आर.डी.ए., छत्तीसगढ़

विषय :– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को कियान्वयन हेतु जारी किया जाना।

संदर्भ :– जनहित याचिका (सिविल) (कमांक) 400 /2012 एवं जनहित याचिका (सिविल) (कमांक) 604/2013 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 15/04/2014 ।

★ ★ ★

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2014 को तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को विशेष पहचान देने एवं उनके विकास हेतु कल्याणकारी कार्यों, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा एवं संविधान द्वारा प्रदत्त मानवअधिकारों के संरक्षण हेतु ऐतिहासिक निर्णय दिया गया । इस संदर्भ में मााननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रति वेबसाइट (http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=41411) पर उपलब्ध है ।

उपरोक्त आदेश के पैरा 129 के माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों को संबंधित कार्य सौंपे गये हैं । इसी तारतम्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया एवं उक्त समिति द्वारा भारत सरकार को अनुशेसा सौंपी गई जिसका पालन राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग द्वारा किया जाना है तथा राज्य शासन द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है ।

md Copy Dispatch 4/10/2014

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कार्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

- महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) अंतर्गत तृतीय लिंग के व्यक्तियों को लाभ दिया जाना है ।

- आजीविका मिशन अंतर्गत तृतीय लिंग के व्यक्तियों को लाभ दिया जाए एवं स्व–सहायता समूह बनाकर आजीविका मिशन के कार्यों से जोड़ा जाए ।
- इंदिरा आवास योजना अंतर्गत तृतीय लिंग के व्यक्तियों को आवास प्रदाय किया जाए । इस हेतु यदि तृतीय लिंग के व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं तो उन्हें प्राथमिकता दिया जाना है।
- शासन की ओर से संचालित कार्यक्रमों/उपक्रमों में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के non-discriminatory रूप से जुड़ने एवं महिला/पुरूष के लिए प्रावधानित समान लाभ लेने हेतु व्यवस्था किया जाए ताकि लिंग आधारित भेदभाव समाप्त किया जा सके ।
- तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु पृथक शौचालय के निर्माण हेतु कार्यवाही किया जाना है । सार्वजनिक स्थलों/भवनों में तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु आवश्यकता का आंकलन कर पृथक शौचालय, कमरे इत्यादि के निर्माण कराने हेतु कार्ययोजना प्रेषित करें । इसके लिए स्वच्छ पंचायत सप्ताह में विशेष स्वच्छता ग्राम सभा के माध्यम से स्वच्छता हेतु बनाई जाने वाली कार्ययोजना में सम्मिलित कर प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
- ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा तृतीय लिंग के विकास हेतु किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की जाए एवं सामान्य सभा द्वारा समय–समय पर विशेष समीक्षा की जाए एवं ग्राम सभा में चर्चा हो ।

उपरोक्त कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास लाया जा सकेगा । अतः आपसे अपेक्षित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के विकास हेतु उपरोक्त कार्य बिन्दुओं पर कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

(एम.के.राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सिरपुर भवन रायपुर (छ.ग.)

26

क्र. प्र.अ. /कार्य/2014 रायपुर, दिनांक /10/2014

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   .... परिक्षेत्र
2. समस्त अधीक्षण अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   ....मण्डल
3. समस्त कार्यपालन अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   .... संभाग

विषय :– मान्नीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक से शौचालय की व्यवस्था किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक 3475/3137/2014/19/न्या. दिनॉक 01/10/2014

000

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनॉक 15/4/2014 द्वारा निर्देश दिया गया है कि तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक से शौचालय की व्यवस्था की जानी है । इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि:–

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा जिन भवनों के नवीन प्राक्कलन प्रस्तुत किये जाने हैं उन सभी भवनों के प्राक्कलन में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक शौचालय का प्रावधान करें।
2. समस्त गैर आवासीय भवनों में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक से शौचालय का प्रावधान हेतु एम.ओ. डब्लू. के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

मुख्य अभियंता (भ)
कार्या.प्र.अ.लो.नि.वि.
रायपुर

पृ.क्र. 4601600 /कार्य/2014 रायपुर,दिनॉक 4/10/2014

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन लोक निर्माण विभाग महानदी भवन नया रायपुर की ओर शासन के पत्र क्रमांक 3475/3137/2014/19/न्या. दिर्नोक 1/10/2014 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

सहपत्रः– 0

4/10
मुख्य अभियंता (भ)
कार्या.प्र.अ.लो.नि.वि.
रायपुर

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 3:04 PM Page 76

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 6–95/2014/न्या.प्र./38–2/2014 नया रायपुर, दिनांक 9.10.2014

प्रति,

1. कुलसचिव
   समस्त विश्वविद्यालय (छ.ग.)

2. प्राचार्य
   समस्त महाविद्यालय (छ.ग.)

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्र. 400/2012 में पारित निर्णय के क्रियान्वयन बावत।

संदर्भः– छ.ग.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रम. एफ 6–32/2012/स.क./26 दि. 29.9.2014.

—00—

कृपया विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 का अवलोकन वेबसाईट http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=41411 पर करने का कष्ट करें।

उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपकी संस्था में अध्ययनरत तृतीय लिंग के विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए तथा उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जावे। आवश्यकतानुसार इनके हितों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु भेदभाव विरोधी प्रकोष्ठ का गठन किया जावे, जिसके द्वारा सतत् निगरानी रखी जावे।

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(डॉ. अशोक पाण्डे)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 9.10.2014

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 6–95/2014/न्या.प्र./38–2/2014
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय
3. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास /स्कूल शिक्षा विभाग, नया रायपुर
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
6. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 3:04 PM Page 77

CGSACS

कार्यालय परियोजना संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति
राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र कालीबाड़ी, रायपुर
फोन एवं फैक्स–0771–2235860,4081069 Email-chattisgarhsacs@gmail.com

क्रमांक / सी.एस.एम. / 2016–17 / 777 रायपुर, दिनांक 2/8/16

अतिआवश्यक

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छ.ग.
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक – जिला चिकित्सालय, छ.ग.

विषय : तृतीय लिंग के व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र / पहचान पत्र जारी करने के सम्बंध में

संदर्भ : 1. उप संचालक (समय सीमा) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक / 28 / उप. संचा. / टी.एल. / 2016 / 64 नया रायपुर, दिनांक 10.06.2016

2 अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पत्र क्रमांक / 1743 / 86 / टी.एल. / 2016 / सत्रह / एक नया रायपुर दिनांक 09.03'2016

3 श्री सुधीर भारगव, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक D.O.No. 17.08.2013 -DP-II(Vol.II) दिनांक 21.07.2014

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है, कि श्री सुधीर भारगव, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक D.O.No. 17.08.2013-DP-II(Vol.II) दिनांक 21.07.2014 जो की माननीय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को अंकित था का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके Annexure-I के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश कण्डिका नं. 02 में स्पष्ट लेख किया गया है कि Transgender persons right to decide their self-identified gender is also upheld and the Centre and State Governmens are directed to grant legal recognition of their gender identify such as male, female or as third gender.

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश के प्रकाश में तृतीय लिंग के व्यक्तियों को उनकी स्वेच्छानुरूप लिंग निर्धारण का सम्मान करते हुए उनका परिचय पत्र जारी किया जावे।

संलग्नः– उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं Annexure-I।

अतिरिक्त परियोजना संचालक
छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / सी.एस.एम. / 2016–17 / 778 रायपुर, दिनांक 2/8/16

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक स्वास्थ्य सेवायें एवं परियोजना संचालक, छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक समाज कल्याण विभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. समस्त कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला एड्स नियंत्रण समिति छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
5. समस्त संयुक्त / उप संचालक जिला कार्यालय समाज कल्याण छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
6. कार्यालयीन प्रति।

2.8.16

o/c

अतिरिक्त परियोजना संचालक

(201)

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:::मंत्रालय:::
महानदी भवन, नया रायपुर,492002

कमांक एफ 27–8/टी0एल0/2014/नौ/17–3 नया रायपुर, दिनांक

प्रति,

1. अधिष्ठाता,
   चिकित्सा महाविद्यालय सिम्स, बिलासपुर/रायपुर/जगदलपुर/रायगढ़/राजनांदगाँव
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   समस्त जिला–छ0ग0।
3. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
   समस्त जिला–छ0ग0।

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को जारी कर क्रियान्वयन किये जाने विषयक ।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा अनुसार प्रदेश के समस्त चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निम्नांकित स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें:–

1. चिकित्सालय के कर्मियों को तृतीय लिंग समुदाय के प्रति सकारात्मक व्यवहार एवं निष्पक्षता से स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सकीय स्टॉफ का तृतीय लिंग समुदाय के समस्त विषयों को समाहित करते हुए, संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण आयोजित करें।
2. तृतीय लिंग समुदाय के लिए चिकित्सालयों में तृतीय लिंग समुदाय हेतु पृथक से शौचालय की सुविधा प्रदाय करें, जिससे कि तृतीय लिंग समुदाय अधिकाधिक रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकें एवं स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता–युक्त जीवन यापन कर सकें ।

(मरियानुस तिग्गा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Tritiya Prakriti _ Mag K Final.qxd 28/01/2019 3:05 PM Page 79

कार्यालय संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
ब्लॉक–2, तृतीय तल
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

कमांक– 1533/खाद्य–संचा/2017 नया रायपुर, दिनांक 15/12/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– तृतीय लिंग (Third Gender) समुदाय के व्यक्तियों को राशनकार्ड जारी किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– विभाग का पत्र कं. एफ 10–64/खाद्य/2009/29–1 (3)/3302 दिनांक 13.12.2017

––00––

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, (छायाप्रति संलग्न)। तृतीय लिंग समुदाय के परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित पात्रताओं के अनुसार परीक्षण कर नियमानुसार/पात्रता अनुसार राशनकार्ड जारी किया जावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

15/12/17

(डोमन सिंह)
संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, नया रायपुर

पृ. कमांक– 1534/खाद्य–संचा/2017 नया रायपुर, दिनांक 15/12/2017

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, महानदी खण्ड डी.के.एस. भवन परिसर रायपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
4. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी छत्तीसगढ़।

15/12/17

संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
संचालनालय, नया रायपुर

संचालनालय समाज कल्याण
आवक क्रमांक 5050
दिनांक 21/12/17
रायपुर (छत्तीसगढ़)

JD Letter 2017 - 424 -

2143
20/12/17

तत्काल / अत्यावश्यक

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

क्रमांक एफ 10–64 / खाद्य / 2009 / 29–1(3)/3302 नया रायपुर, दिनांक 13 / 12 / 2017

प्रति,

1. **संचालक,**
   खाद्य, ना.आ. एवं उपभोक्ता संरक्षण
   संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

2. **समस्त कलेक्टर**
   छत्तीसगढ़

विषयः–तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को राशनकार्ड दिये जाने के संबंध में।

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि तृतीय लिंग समुदाय के परिवारों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पात्रताओं के अनुसार परीक्षण कर उन्हें विभिन्न श्रेणी में पात्रतानुसार राशनकार्ड प्रदान किया जावे।

12/12

(मनोज कुमार सोनी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग